

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2017-चैत्र 17, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम मिथिलेश वशिष्ठ पत्नी स्व. श्री कमल किशोर वशिष्ठ अंकित है, मेरे पति की पेंशन में मेरा नाम मिथिलेश वशिष्ठ पत्नी स्व. श्री कमल किशोर वशिष्ठ हो गया है. भविष्य में मुझे श्रीमती मिथिलेश वशिष्ठ के नाम से जाना-पढ़ा-समझा एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मिथिलेश वशिष्ठ)

नया नाम :

(मिथिलेश वशिष्ठ)

पत्नी-स्व. श्री कमल किशोर वशिष्ठ,
माता वाली गली, शिन्दे की छावनी,
लशकर, ग्वालियर (म. प्र.).

(773-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सिमरन बजाज पत्नी श्री धीरज बजाज, निवासी-42, अनुपम नगर, एक्सटेंशन, ग्वालियर म. प्र. सूचित करती हूं कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में विवाह के पूर्व नाम कु. लतिका बसन्तानी पुत्री स्व. श्री मोतीलाल बसन्तानी अंकित था. विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती सिमरन बजाज पत्नी श्री धीरज बजाज हो गया है. अतः भविष्य में भी मुझे श्रीमती सिमरन बजाज के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(लतिका बसन्तानी)

नया नाम :

(सिमरन बजाज)

पति-श्री धीरज बजाज.

(03-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मुझे अर्थात् मुहम्मद जैन फ़ारूकी (MOHAMMAD ZAIN FARUQI) को मो. जैन फ़ारूकी (MOHD ZAIN FAROOQUI) के नाम से जाना-पहचाना जाता था, किन्तु अब भविष्य में मुझे मुहम्मद जैन फ़ारूकी (MOHAMMAD ZAIN FARUQI) के नाम से ही जाना-पहचाना जावेगा एवं मुझे मुहम्मद जैन फ़ारूकी (MOHAMMAD ZAIN FARUQI) पिता श्री जे. एम. आमिर फ़ारूकी (J. M. AAMIR FARUQI) के नाम से ही पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(मो. जैन फ़ारूकी)

(MOHD ZAIN FAROOQUI)

नया नाम :

(मुहम्मद जैन फ़ारूकी)

(MOHAMMAD ZAIN FARUQI)

पिता-श्री जे. एम. आमिर फ़ारूकी

पता-310, गार्डन होम, फेज़-3, ब्लॉक-3,
अल्कापुरी, सिटी सेंटर, ग्वालियर-474011 (म. प्र.).

(775-बी.)

नाम परिवर्तन

सभी को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रिश्मा भदौरिया है जो मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में दर्ज है लेकिन मेरे पुत्र विवेकसिंह भदौरिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में गलत नाम सरिता भदौरिया त्रुटिवश दर्ज हो गया है. इसलिए मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम रिश्मा भदौरिया दर्ज किया जावे और आगे से पढ़ा जावे.

रिश्मा भदौरिया,

(विवेकसिंह भदौरिया पुत्र रिश्मा भदौरिया)

निवासी-महावीर गंज, भिण्ड.

(01-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, राजेन्द्र बनोलिया पिता बाबुलाल बनोलिया, निवासी ब्योहार बाग, जबलपुर शपथपूर्वक कहता हूँ कि मेरी 10वीं की अंकसूची में नाम राजेन्द्र बनोलिया (RAJENDRA BANOLIA) पिता बाबुलाल बनोलिया से बदलकर (नया) राजेन्द्र बनोलिया (RAJENDRA BANOLIYA) पिता बाबुलाल बनोलिया किया गया है. आज दिनांक से मुझे नये नाम से जाना-पहचाना एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम :

(RAJENDRA BANOLIA)

नया नाम :

(RAJENDRA BANOLIYA)

(02-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती मानसी शर्मा पत्नी श्री रत्नेश शर्मा, निवासी बैरागढ़ भोपाल, म. प्र. का विवाह दिनांक 27 अप्रैल, 1996 को भोपाल में सम्पन्न हुआ था विवाह के पूर्व मेरी पक्षकारा का नाम कल्पना शर्मा पुत्री श्री सुरेन्द्र शर्मा था. सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है विवाह के पश्चात मेरी पक्षकारा का नाम परिवर्तित होकर श्रीमती मानसी शर्मा पत्नी श्री रत्नेश शर्मा हो गया है. विवाह के पश्चात् के दस्तावेजों में मेरी पक्षकारा का नाम श्रीमती मानसी शर्मा पत्नी रत्नेश शर्मा दर्ज है अब मेरी पक्षकारा को इसी नाम से जाना व पहचाना जावे एवं मेरी पक्षकारा इसी नाम को समस्त कार्यों में उपयोग करती है. यह दोनों नाम एक ही महिला (पक्षकारा) के हैं जो मेरी पक्षकारा मानसी शर्मा अब उन्हें केवल एक नाम मानसी शर्मा से जाना-पहचाना जावें.

कृपया सूचित होवें.

विवेक ब्राम्हणे,

(अभिभाषक).

(04-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार अशरफ अली अधिवक्ता, पुत्र स्व. श्री भैय्या मियां निवासी बी-2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोह-ए-फिजा भोपाल का कुल सैय्यद है। उनका पूर्ण सही एवं वास्तविक नाम सैय्यद अशरफ अली एवं उनके पिता का नाम पूरा नाम नसरत अली उर्फ भैय्या मिया है।

अतः आज दिनांक के पश्चात् से मेरे पक्षकार अशरफ अली अधिवक्ता को सैय्यद अशरफ अली पुत्र स्व. श्री नसरत अली उर्फ भैय्या मिया से जाना एवं पहचाना जावे।

कृपया सूचित हों।

(05-बी.)

विवेक ब्राह्मणे,
(अभिभाषक).

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि रजिस्टर्ड फर्म श्री शक्ति केरियर्स जो कि दिनांक 16 नवम्बर, 1987 को निष्पादित की गई थी। जिसमें पंकज मुखारया पिता श्री मनोहरलाल मुखारया, आभा मुखारया पत्नि पंकज मुखारया, आनंद मुखारया पिता रमेश कुमार मुखारया एवं अशोक कुमार साहू पिता भगवादास साहू भागीदार थे। भागीदार पत्रक दिनांक 28 मार्च, 1989 से श्री आनंद कुमार मुखारया एवं श्री अशोक कुमार साहू स्वेच्छा से रिटायर हो गए थे। पार्टनरशिप डीड दिनांक 03 मई, 2014 के अनुसार श्री संजीव केशरवानी पिता स्व. श्री रामशंकर केशरवानी फर्म में शामिल हो गए थे। पुनः नवीन भागीदारी पत्रक दिनांक 02 मार्च, 2017 के अनुसार नमन मुखारया पिता पंकज मुखारया, श्रीमति आस्था मुखारया पत्नि नमन मुखारया एवं कु. भाविनी श्री मुखारया पुत्री पंकज मुखारया फर्म में शामिल हो गए हैं एवं श्री संजीव कुमार केशरवानी एवं पंकज मुखारया निजी कारणवश स्वेच्छा से रिटायर हो गए हैं।

आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित।

(772-बी.)

दुष्यन्त शर्मा,
(एडव्होकेट)
एम. आई. जी. 112, गौर नगर मकरोनियां,
सागर (म. प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वी. डी. इन्टरप्राइजेस, बी-115, जय शिव ओम कॉलोनी, बरखेड़ा सलाम, फन्दा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल से श्रीमति वर्षा दुबे पत्नि श्री अमित दुबे, पता -86, रचना नगर कॉलोनी, भोपाल दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 से पृथक् हो गयी हैं एवं उक्त दिनांक से श्रीमति सरोज किरार पत्नि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह किरार नयी साझेदार के रूप में उक्त फर्म में शामिल हो गई हैं।

(774-बी.)

For-V. D. Enterprises,
दीप्ति,
(Partner).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 53/2001-2002, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 का है। इस फर्म में पांच भागीदार थे, परंतु 30 मार्च, 2009 को एक पार्टनर श्री कमला प्रसाद शर्मा का देहावसान हो गया। उसके पश्चात् यह फर्म शेष चार भागीदारों के द्वारा अपना व्यवसाय संचालित करती रही है हम भागीदारों के द्वारा 01 अप्रैल, 2015 को छः भागीदारों को फर्म में प्रवेश किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है: 1. उत्कर्ष शर्मा आत्मज राजेश शर्मा, 2. कविता शर्मा पत्नि राजेश शर्मा, 3. रजनी शर्मा पत्नि उमेश शर्मा, 4. वर्षा शर्मा पत्नि मनोज शर्मा, 5. सुवर्णा शर्मा पुत्री राजेश शर्मा, 6. सौम्या शर्मा पुत्री उमेश शर्मा इस प्रकार इस फर्म में कुल दस भागीदार हैं। इसके पश्चात् 1 अप्रैल, 2017 से श्रीमती वर्षा शर्मा इस फर्म से निवृत्त हो रही हैं। इनके निवृत्त होने के पश्चात् इस फर्म में शेष नए भागीदारों के द्वारा इस फर्म के व्यवसाय का संचालन किया जायेगा। अतः इस संबंध में आम जनता में किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था को इन संशोधनों से कोई भी आपत्ति हो तो सात दिनों के अंदर विज्ञापनकर्ता से सम्पर्क करें।

फर्म के पुराने पते मैसर्स आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स, गोल बाजार जबलपुर (म. प्र.) से कारोबार बंद कर दिया है एवं फर्म ने मैसर्स आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स, ए. एफ. 6, स्नेहकुंज, जे. डी. ए. कॉम्प्लेक्स, स्नेह नगर चौक, जबलपुर में कारोबार प्रारंभ कर दिया है।

फर्म-आर. के. शर्मा एण्ड ब्रदर्स,
उत्कर्ष शर्मा,
(भागीदार).

(06-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च, 2017

सूचना प्रोद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार)

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2017 है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-20153/08/2016/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-09/परीक्षा/2016/14 दिसम्बर, 2016 ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2017 मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सूचना प्रोद्योगिकी के कुल-34 पदों हेतु सूचना प्रोद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार) को प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर स्थित केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 5761 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-115 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-72, अनुसूचित जाति-14, अनुसूचित जनजाति-17 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-12 सम्मिलित हैं। इनमें कुल महिला-26 हैं। निःशक्त-04 (अस्थिबाधित) एवं भूतपूर्व सैनिक-01 सम्मिलित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सूचना प्रोद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार) के सभी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 26 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है।

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

(1116)

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च, 2017

सूचना प्रोद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2017 निर्धारित है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-20153/08/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-09/परीक्षा/2016/14 दिसम्बर, 2016 अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभाग के तहत सूचना कुल-34 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2017 निर्धारित थी, उपरोक्त पद हेतु सूचना प्रोद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार) को प्रदेश के चार संभागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर स्थित केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त ऑनलाईन परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.20153/08/2017/अनु.-10 दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया गया है। यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 5761 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-115 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-72, अनुसूचित जाति-14, अनुसूचित जनजाति-17 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-12 सम्मिलित हैं। इनमें कुल महिला-26 हैं। निःशक्त-04 (अस्थिबाधित) भूतपूर्व सैनिक-01 सम्मिलित हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सूचना प्रौद्योगिकी ऑनलाईन परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 26 फरवरी, 2017 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाणपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 26 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
 3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.
 4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
 5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
- परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

कुल विज्ञापित रिक्तियों की श्रेणीवार, वर्गवार संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	21	04	05	04	34
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ	04	01	01	01	07
(स)	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद		01	(अस्थिबाधित)		01
(द)	भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद	01	-	-	-	01
क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	72	14	17	12	115
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	14	05	04	03	26
(स)	निःशक्तजन हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध अर्ह आवेदक संख्या		04	(अस्थिबाधित)		04
(द)	भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद, पद के विरुद्ध अर्ह आवेदक संख्या	01	-	-	-	01

INFORMATION TECHNOLOGIES EXAM-2016

EXAM DATE : 26-FEB-2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW

SL. No.	ROLL No.	NAME
1	IT100005	VIMAL KUMAR SINGROLI
2	IT100225	BHAGAT SINGH RAGHUWANSHI
3	IT100245	KAMALKANT PATEL
4	IT100322	SHUBHANGI DONGRE
5	IT100376	SHRIJA SOMARAJ
6	IT100492	AMRENDRA NARAYAN MISHRA
7	IT100586	KAMLESH DUDVE
8	IT100587	UNMUKT JAIN
9	ITI00661	VIJAY KUMAR TRIVEDI
10	IT100763	SUNIL RAJAK
11	IT100775	DEVENDRA SINGH
12	IT100800	KAPIL KUMAR SONI
13	IT100816	RAHUL KUMAR JAIN
14	IT100883	KRISHNA PRATAP SINGH
15	IT100894	DILEEP KUMAR SINGH
16	IT100928	RITESH KUMAR PANDEY

SL.No.	ROLL No.	NAME
17	IT101116	ABHISHEK GUPTA
18	IT101206	PRATIKSHA ARYA
19	IT101302	TARUNA BHATI
20	IT101345	ABHISHEK SAHU
21	IT101531	SWAPNIL NEMA
22	IT101662	MUKESH LODHI
23	IT101795	NILESH PARMAR
24	IT101796	PRIYA SAHU
25	IT101801	MD AKRAM KHAN
26	IT101821	TANMAY SUHANE
27	IT101913	SHUBHANGI MAGARKAR
28	IT102005	MINAKSHI SHUKLA
29	IT102009	GOURI SHANKAR PRAJAPATI
30	IT102026	RINKESH JAIN
31	IT102129	SAURABH SHARMA
32	IT102142	JAHENDRA GHURAIYA
33	IT102275	NITISH SHRIVASTAVA
34	IT102303	SHIV PRATAP SINGH TOMAR
35	IT102384	POORNIMA PATHAK
36	IT102404	NEHA GOUR
37	IT102425	VINEET KUMAR ARMO
38	IT102557	SHIVAM JAYASH PATEL
39	IT102603	SHARAD RAGHUWANSHI
40	IT102681	PRASUN HAZARI
41	IT102698	AKHILESH KUMAR BHASKAR
42	IT102713	ADITI GOUR
43	IT102806	TARUN CHAURASIA
44	IT102814	VINAY MAHORE
45	IT102827	SURENDRA SOLANKI
46	IT102995	PRACHI SINGH
47	IT103041	PANKAJ SHARMA
48	IT103158	GIRIRAJ SHARMA
49	IT103169	MANISH GUPTA
50	IT103182	SHRADHA DUBEY
51	IT103290	ALOK KUMAR
52	IT103297	RUDRANSHU SHARMA
53	IT103386	SOMYA AGARWAL
54	IT103409	SAURABH AGRAWAL
55	IT103429	DHARMVEER SINGH BHADAURIA
56	IT103566	GOVIND SHARMA
57	IT103615	PRAVEEN MODI
58	IT103674	GOPAL SINGH KUSHWAH
59	IT103745	SAURABH AGARWAL
60	IT103751	AMIT SINGH CHAUHAN
61	IT103769	DILEEP DHAKAD
62	IT103792	JAIDEEP SHARMA
63	IT103810	PRIYA GOHAR
64	IT103818	SACHIN PATIDAR
65	IT103848	PRASHANT PANDEY

SL. No.	ROLL No.	NAME
66	IT103884	MUKESH KUMAR PATIDAR
67	IT103948	ABHIRAJ PATKAR
68	IT103968	CHANCHALA JOSHI
69	IT104035	SUBODH MISHRA
70	IT104100	SAVITA BAIRAGI
71	IT104185	ANURAG GUPTA
72	IT104335	PRAVIN GURJAR
73	IT104402	DEEP NARAYAN SINGH
74	IT104464	SHEANAN VERMA
75	IT104483	SAGAR GAUD
76	IT104645	AJAY THAKUR
77	IT104705	PRAVEEN GEHLOT
78	IT104894	VIKAS KUMAR JAIN
79	IT104903	AKASH NAGWANSHI
80	IT105007	VISHAL KUMAR GUPTA
81	IT105282	SUJATA GUDGE
82	IT105292	DURGABAMNIYA
83	IT105317	KARTIKEYA MANDLOI
84	IT105410	HARISH JUNWAL
85	IT105432	RAVIKANT PRAJAPATI
86	IT105450	ASHISH KUMAR DEHARIYA
87	IT105469	RAJESH MAVI
88	IT105474	PRIYANKA DWIVEDI
89	IT105498	MANOJ CHOUHAN
90	IT105575	GAURAV GOTHI
91	IT105699	ANKIT KUMAR SONI
92	IT105740	HIMMAT SINGH PARIHAR
93	IT105813	RAVINDRA SINGH DAWAR
94	IT105820	REKHA PUROHIT
95	IT105856	RAJESH AWASIYA
96	IT105885	ARVIND SINGARE
97	IT105903	SAIFI BAWAHIR
98	IT105905	JITENDRA JADAV
99	IT106073	RAJNEESH RAMKISHAN AGRAWAL
100	IT106093	PULKITA AGRAWAL
101	IT106225	RONAK KHEMCHANDANI
102	IT106231	RAHUL SHRIVASTAVA
103	IT106278	SHAILJA PANDEY
104	IT106330	BHOOPENDRA KUMAR AHIRWAL
105	IT106508	DINESH AHIRWAR
106	IT106536	VISHAL KUMAR JAISWAL
107	IT106619	VAISHALI TRIVEDI
108	IT106850	RAVI RAJ SINGH KURMI
109	IT106860	CHANDNI NAGVANSHI
110	IT106872	SATYENDRA SINGH YADAV
111	IT106881	DEEPTI AGRAWAL
112	IT106932	ANSHUL KHURANA
113	IT106972	BALRAM RAJORIYA
114	IT106981	VAANYA MISHRA
115	IT107258	NIKHIL SHRIVASTAVA

महत्वपूर्ण टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

(1116-A)

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च, 2017

विशेषज्ञ आयुर्वेद ऑनलाईन परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार)**संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति**

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2017 है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-20154/07/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/चयन/2015/31 मार्च, 2015 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के तहत विशेषज्ञ आयुर्वेद के कुल-08 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 मई, 2015 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा-2015 परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 01 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.-20154/07/2017/अनु.-10, दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया गया है। यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-22 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-13, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-03 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-03, सम्मिलित हैं। निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. विशेषज्ञ आयुर्वेद ऑनलाईन परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार) के सभी साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गये आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 26 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है.

(1117)

इन्दौर, दिनांक 24 मार्च, 2017

विशेषज्ञ आयुर्वेद ऑनलाईन परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 26 अप्रैल, 2017 निर्धारित है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि.क्र.-20154/07/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/चयन/2015/31 मार्च, 2015 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग के तहत विशेषज्ञ आयुर्वेद के कुल-08 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 09 मई, 2015 निर्धारित थी. उपरोक्त पद हेतु विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा-2015 परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित 01 केन्द्रों पर आयोजित की गई थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र.-20154/07/2017/अनु.-10, दिनांक 24 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया गया है. यह लिखित परीक्षा परिणाम "रोजगार और निर्माण" के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये. लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-22 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-13, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-03 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग-03, सम्मिलित हैं. निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. विशेषज्ञ आयुर्वेद परीक्षा-2015, परीक्षा, दिनांक 19 फरवरी, 2017 (रविवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गये आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 26 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी.
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

कुल विज्ञापित रिक्तियों की श्रेणीवार, वर्गवार संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिबर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	04	01	02	01	08
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ	01	00	00	00	01

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	12	03	03	03	21
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	03	-	-	-	-
(स)	समान अंक प्राप्त कुल आवेदक	01	-	-	-	01
(द)	कुल योग	13	03	03	03	22

AURVED SPECIALIST EXAM 2015

POST NAME : AURVED SPECIALIST

EXAM DATE : 19-FEB-2017

LIST OF ELIGIBLE CANDIDATES FOR INTERVIEW

SL.No.	ROLL No.	NAME
1	AYI00003	JASPREET SINGH
2	AYI00006	PRIYANKADHURVEY
3	AYI00011	RAMAKANT DWIVEDI
4	AVI00019	RASHMI SHARMA
5	AYI00020	PANAKJ MASODKER
6	AY100023	VIJENDRA SINGH MANDLOI
7	AYI00026	MANEESH NEMA
8	AYI00034	SAYEMA ANSARI
9	AYI00038	NEELIMA SINGH
10	AYI00043	PRACHIDALVI KAWTHEKAR
11	AYI00048	REKHA JAIN
12	AYI00049	ARUNIMA NAMDEO
13	AY100050	SHASHANK JHA
14	AYI00056	SHEETAL KUMAR SOLANKI
15	AYI00060	VIPINKUMAR SINGH TOMAR
16	AYI00065	GOUTAM NAGRAJ
17	AYI00067	OBED AHMED ANSARI
18	AYI00068	NARENDRA SINGH LODHI
19	AYI00071	ANIL VERMA
20	AYI00073	RAMRAKSHA SHUKLA
21	AYI00075	RACHNA BUNKAR
22	AYI00079	SHWETA VERMA

महत्वपूर्ण टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे
2. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फार्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.

5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

दिनेश जैन,

परीक्षा नियंत्रक.

(1117-A)

इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2017

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 07 अक्टूबर, 2016

संक्षिप्त समाचार-विज्ञप्ति

वि.क्र.-19158/02/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/परीक्षा/2016/17 मार्च, 2016 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2016 शब्दिपत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2016, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 परीक्षा तिथि में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन में वृद्धि की सूचना एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016, आयोजन की सूचना दिनांक 15 जुलाई, 2016 के अंतर्गत अनारक्षित के कुल पद-131, अनुसूचित जाति के कुल पद-38, अनुसूचित जनजाति के कुल पद-54 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल पद-32 सभी श्रेणियों के कुल पद-255 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 07 अक्टूबर, 2016 तक प्रातः 10:00 से दोपहर 01:00 बजे तक एवं निबंध एवं अपठित गद्यांश प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक आयोजित की गई थी। यह परीक्षाफल आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-19158/02/2017/अनु.-10, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया जा रहा है। उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं। साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है।

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-171 है, इनमें अनारक्षित के कुल-394, अनुसूचित जाति कुल-116, अनुसूचित जनजाति कुल-163 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कुल-98, सम्मिलित महिलाएं कुल-269, सम्मिलित निःशक्तजन (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) कुल-37 एवं भूतपूर्व सैनिक कुल-05, सम्मिलित हैं। अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक प्राप्त आवेदक सम्मिलित हैं।

2. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाण फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाण फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाण फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, भूतपूर्व सैनिक आवेदक, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र शासकीय सेवक का लेख प्रमाण पत्र एवं अनुप्राप्ति प्रमाण-पत्र जिसके आवेदन विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 13 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिन आवेदकों के अनुप्रमाण फार्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यावाही की जाएगी।

3. आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जायेगी।

(1101)

इन्दौर, दिनांक 10 मार्च, 2017

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016, परीक्षा, दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 07 अक्टूबर, 2016 लिखित परीक्षा परिणाम

वि.क्र.-19158/02/2017/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/चयन/2016, दिनांक 17 मार्च, 2016 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 14 अप्रैल, 2016 शब्दिपत्र क्रमांक 01/02/परीक्षा/2016, दिनांक 13 अप्रैल, 2016 परीक्षा तिथि में संशोधन तथा ऑनलाईन आवेदन में वृद्धि की सूचना एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016, आयोजन की सूचना दिनांक 15 जुलाई, 2016 के अंतर्गत अनारक्षित के कुल पद-131, अनुसूचित जाति के कुल पद-38, अनुसूचित जनजाति के कुल पद-54 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल पद-32 सभी श्रेणियों के कुल पद-255 पदों के लिये राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 मध्यप्रदेश के चार संभागीय मुख्यालयों इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर

में दिनांक 01 अक्टूबर, 2016 से 07 अक्टूबर, 2016 तक प्रातः 10:00 से दोपहर 01:00 बजे तक एवं निबंध एवं अपठित गद्यांश प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक आयोजित की गई थी. यह परीक्षाफल आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-19158/02/2017/अनु.-10, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा घोषित किया जा रहा है. उपरोक्त परीक्षा में श्रेणीवार संख्या के पदों की तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं. साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है.

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या कुल-771 है, इनमें अनारक्षित के कुल-394, अनुसूचित जाति कुल-116, अनुसूचित जनजाति कुल-163 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कुल-98, सम्मिलित महिलाएं कुल-269, सम्मिलित निःशक्तजन (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित) कुल-37 एवं भूतपूर्व सैनिक कुल-05, सम्मिलित हैं. अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक प्राप्त आवेदक सम्मिलित है.

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों हेतु अनुप्रमाण फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईड www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाण फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाण फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपी संलग्न कर दिनांक 13 अप्रैल, 2017 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं, अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार की तिथि पृथक से घोषित की जायेगी.

परीक्षा परिणाम में प्रावधिक अर्ह पाये गये 171 आवेदकों के रोल नम्बर एवं नाम की सूची निम्नानुसार है:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE SERVICE MAIN EXAM 2016
ROLL WISE LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR INTERVIEW

SL. No.	ROLL No.	NAME
1.	100003	MANISH ALAWA
2.	100204	ROHIT DAWAR
3.	100238	SHEETAL KAWACHHE
4.	100260	PRASANNA KUMAR GUPTA
5.	100330	AKASH SITOLE
6.	100335	RATNESH SINGH PATEL
7.	100501	JYOTI KIRADE
8.	100665	VIKASH KUMAR
9.	100781	POOJA BHORJAR
10.	100843	NIRANJAN SINGH DODVE
11.	100879	MONALI SURYAVANSHI
12.	100932	SHUBHAM SINGH SENGAR
13.	101024	SONU KUMAR
14.	101228	NILESH PRAJAPATI
15.	101342	MANOJ CHOUHAN
16.	101396	MANDEEP DAWAR
17.	101457	MANDAKINI DIXIT
18.	101474	ADITYA TIWARI
19.	101475	SUNEEL KUMAR WARKADE
20.	101508	SANTOSH KARCHAM
21.	101614	PRIYANKA VERMA

SL. No.	ROLL No.	NAME
22.	101673	SANJAY KUMAR DEHARIA
23.	101755	DEEPTI CHAUDHARY
24.	101841	MEENA KORI
25.	101867	REENA KIRADE
26.	101994	PIHOO KURIL
27.	102002	VISHAKHA DESHMUKH
28.	102085	KAMLESH PATIDAR
29.	102099	PIYUSH KUMAR MISHRA
30.	102206	ROSHAN KUMAR JAIN
31.	102361	KAMLESH KUMAR PATIDAR
32.	102485	RAMLAL PAGARE
33.	102604	SHAILENDRA ADIWASI
34.	102610	PRAVEEN PRAKASH BESALA
35.	102701	PINKI DAWAR
36.	102715	KULDEEP SINGH THAKUR
37.	102837	MAHENDRA PATIDAR
38.	102893	JAYA PARMAR
39.	102904	DURGESH SINGH THAKUR
40.	102913	JAYA VASAVA
41.	102939	HEMANT AGRAWAL
42.	102980	REENA PARMAR
43.	103008	ANKITA JAIN
44.	103067	ASHISH KUMAR TIWARI
45.	103085	PUSHRAJ SOLANKI
46.	103100	PRIYANKA MIMROT
47.	103120	RAGHVENDRA SINGH RAGHUVANSHI
48.	103158	RISHI KUMAR SINGHAI
49.	103194	ARUN KUMAR UIKEY
50.	103224	RAKESH BHURIYA
51.	103238	SACHIN ROMA DE
52.	103273	PRAHLAD DODARIYA
53.	103342	JITENDRA SOLANKI
54.	193353	SANTOSH KUMAR AGRAWAL
55.	103365	JITENDRA GURJAR
56.	103413	MANISH BAKAWLE
57.	103665	ABHILASH KUMAR BHALAVI
58.	103701	BHARTI DANGI
59.	103823	SAURABH MISHRA
60.	103880	HEMLATA SUNHARE
61.	103960	SATISH KUMAR BURDE
62.	104106	GAURI SHANKAR RAJPUT
63.	104657	PANKAJ KUMAR MISHRA
64.	104664	VARSHA SOLANKI
65.	104687	ASHISH KUMAR PATEL
66.	104716	MOUSMI KEWAT

SL. No.	ROLL No.	NAME
67.	104756	RAHUL KATRE
68.	104826	VIKASH VERMA
69.	104914	SHABERAANSARI
70.	105008	MALLIKA RAJPUROHIT
71.	105161	ASHISH JAWARIYA
72.	105163	ARCHANA MANDLOI
73.	105412	RAKESHARYA
74.	105433	NITIN MITTAL
75.	105456	DEEPALI KHANDELWAL
76.	105610	REETIKA PATIDAR
77.	105630	RAVINDRA DEWADA
78.	105742	SATENDRA SINGH GURJAR
79.	105744	RAVI MALVIYA
80.	105799	DHAMMADEEP BHAGAT
81.	105822	SHUBHA SHRIVASTAVA
82.	105824	SANTUSHTI PAL
83.	105866	ANIL MORE
84.	106050	AMRATA JAIN
85.	106448	SANDHYA RAWAT
86.	106615	RISHU KUMAR SUMAN
87.	106782	NITIN KUMAR WAGMODE
88.	106896	MAMTA PATEL
89.	107082	SWARNALATA KAJALE
90.	107090	DEVENDRA DIXIT
91.	107165	PRIYA VERMA
92.	107326	RAVINDRA WASKLE
93.	107328	NAMITA DHAMGAYE
94.	107398	ABHIYANK CHOUDHARY
95.	107827	MEGHA TIWARI
96.	107929	RAHUL GUPTA
97.	107968	JITENDRA SINGH GEHLOT
98.	108082	SWAPNIL GARG
99.	108114	ROSHNI VARDHMAN
100.	108119	MANEESH KUMAR JAIN
101.	108141	DIWAKAR MISHRA
102.	108378	VINAY SHUKLA
103.	108645	HARSHADHURVE
104.	108911	SANDHYA AGRAWAL
105.	108956	VIVEK KUMAR SONI
106.	109040	PRIYANKA BAGHEL
107.	109190	RAVIKANT PATEL
108.	109218	AMALTASH SUNHARE
109.	109326	KRISHNAPAL SINGH PATEL
110.	109459	CHETAN SHINDE
111.	109500	LOKESH DAWAR

SL.No.	ROLL No.	NAME
112.	109871	MANISHA YADAV
113.	109947	ANIL MUZALDA
114.	109955	SACHI PATHAK
115.	109990	CHHATRPAL SINGH
116.	110029	VEER BAHADUR SINGH DHURWE
117.	110192	AASTHA CHOURSIYA
118.	110295	ASHWANI KUMAR SONI
119.	110376	RAVI VARMA
120.	110394	LOKESH AHUJA
121.	110399	ARCHANA MAHOR
122.	110403	SHAILESH KUMAR THAKUR
123.	110435	KRISHNA KUMAR NINAMA
124.	110735	AJAY SINGH CHUNDAWAT
125.	110859	PRIYA SINGH
126.	110879	DEVNANDINI BAGHEL
127.	110984	ATUL VERMA
128.	111110	TARUN ANIYA
129.	111275	PULKIT KHANDELWAL
130.	111303	DEVNARAYAN YADAV
131.	111349	MADHU BALA PATIDAR
132.	111814	RIYAZUL HAQ SHEKH
133.	111987	MANOJ SOLANKI
134.	112061	ASHUTOSH DWIVEDI
135.	112085	ASHEESH JOSHI
136.	112378	ROSHANI PATIDAR
137.	112443	VAN DANA JAIN
138.	112517	AMIT KUMAR SINGH
139.	112636	JAGDISH RANDHA
140.	112837	PRIYANKA RAWAT
141.	113079	VISHAKHA CHOUHAN
142.	113087	ATUL KUMAR SHRIVASTAV
143.	113178	ASHISH YASWAL
144.	113195	SATYENDRA GHANGHORIYA
145.	113548	SURESH NAGAR
146.	113578	YASHWANT SHILPKAR
147.	113618	VIJAYPAL CHOUHAN
148.	113657	BRAJKISHOR CHOUHAN
149.	113823	ABHILASH MERAVI
150.	113856	DURGESH VERMA
151.	113886	VIVEK KUMAR SHARMA
152.	114142	UNNATI JAIN
153.	114493	KRATIKA SHINDE
154.	114561	VINOD KUMAR WAHANE
155.	114593	SANGITA GOLIYA
156.	114598	RABEENDRA KUMAR PATEL

SL. No.	ROLL No.	NAME
157.	114865	SATYAM CHATURVEDI
158.	114887	MUKESH PALIWAL
159.	114996	HIMANI MISHRA
160.	115072	PRATIBHA BHALAVI
161.	115086	NANDLAL GAMAD
162.	115197	RAVINDRA SINGH RATHI
163.	115205	SAN JAY JAT
164.	115242	KEERTI SINGH NARWARIYA
165.	115434	AKASH GUPTA
166.	115546	SHEELA BHADKARE
167.	115581	DILIP CHANDRAWANSHI
168.	115582	PREMNANDAN SINGH
169.	115729	KULDEEP KATHAIL
170.	115751	PRAMOD SINGH GURJAR
171.	115833	SOURAV TIWARI
172.	115846	NIRUPAMA PALIWAL
173.	115914	SAN JAY CHOUHAN
174.	116037	SAURABH RATNAKAR
175.	116083	NEELAM RAIKWAR
176.	116131	SHASHI MISHRA
177.	116400	NEHA SONI
178.	116471	SHRADDHA KINKAR
179.	116497	SAURABH PRATAP SINGH
180.	116642	DINESH KUMAR CHANDEL
181.	116690	VIMLESH RATHORE
182.	116831	VANDANADHUMKETI
183.	116859	BINDU PARMAR
184.	116943	AKLESH SOLANKI
185.	117086	YASH BANDHU
186.	117340	RAVIN AWASYA
187.	117376	RAJU MEDA
188.	117501	SUNITA NARGAVE
189.	117615	MANISHA WAS KALE
190.	117711	HEMLATA MUVEL
191.	117808	SHWETA BISEN
192.	118129	DEEPASHRI GUPTA
193.	118188	GHANSHYAM DHANGAR
194.	118259	LOKESH CHOUHAN
195.	118280	ASHA CHOUHAN
196.	118319	PRATISHTHA RATHORE
197.	118443	UDIT MISHRA
198.	118504	SHANTI CHHURA
199.	118720	GOURAV BHADRASEN
200.	118725	JITENDRA ALAWA
201.	118733	SURYAKANT SIRVAIYA

SL.No.	ROLL No.	NAME
202.	118771	VAISHALI SISODIYA
203.	118945	SHASHANK JAIN
204.	119030	NEERAJ SINGH
205.	119575	ABHISHEK CHAURASIYA
206.	119711	RIYA JAIN
207.	119835	DAMINI SINGH
208.	119837	CHANCHLESH MARKAM
209.	120048	AJAY AMLIYAR
210.	120070	HIMANSHU KARTIKEY
211.	120120	SHYAM KUMAR DHURVE
212.	120193	KAILASH DAMAR
213.	120269	RAJESH LILHARE
214.	120311	DEEPTI KATROLIYA
215.	121137	RAKESH KUMAR AHAKHE
216.	121252	BHUPENDRA BHIDE
217.	121496	SHELENDRA BHIL
218.	121649	SHANKAR PACHAURI
219.	121763	INDRAJEET SAHU
220.	121795	SUMIT KUMAR GUPTA
221.	121867	DILEEP KUMAR SONI
222.	122304	PRANAV JAIN
223.	122342	JITENDRA SOLANKI
224.	122393	SHAKTISINGH CHOUHAN
225.	122501	SHIVBHANU SINGH
226.	122560	PRADEEP KUMAR DESHLAHRE.
227.	122598	ANSHUMAN SINGH
228.	123029	ANURAKTI SABNANI
229.	123104	JAYDEEP PUNGLIA
230.	123521	PARVEEN ANSARI
231.	123601	RAVI SHARMA
232.	123618	SAUDAMINI SHIVHARE
233.	123632	ASHOK SINGH
234.	123878	RAJESH UIKEY
235.	123885	SUNIL SINGUNE
236.	124075	SATENDRA SINGH GURJAR
237.	124132	RAMKRISHNA BAMNIYA
238.	124224	ASHWINI RANISE
239.	124333	SHOBHA CHAUHAN
240.	124403	RAHUL KUMAR SAIYAM
241.	124432	SURESH BAROLE
242.	124510	PRAVEEN OHARIYA
243.	124653	PRADEEP KUMAR SHARMA
244.	124833	ARPIT MEHTA
245.	124931	RAVIKANT PRAJAPATI
246.	124938	NEERAJ KUMAR SANODIYA

SL. No.	ROLL No.	NAME
247.	125121	ALFIYAKHAN
248.	125166	ANIMESH JAIN
249.	125178	ATUL BAJPAI
250.	125217	APEKSHA SINGH GEHLOT
251.	125221	ROOPREKHAYADAV
252.	125323	SONU PARMAR
253.	125482	VAIBHAV JAIN
254.	125576	ADITYA TIWARI
255.	125622	OMPRAKASH PATIDAR
256.	125724	NAMRATA SONDHIYA
257.	125758	RAJENDRA SINGH RAWAT
258.	125964	RAGHVENDRA SINGH DHAKAR
259.	126052	MEENAKSHI JAISWAL
260.	126068	DHARMENDRA TIWARI
261.	126072	MAYANK KUMAR JAIN
262.	126246	NARENDRA SINGH DHURVE
263.	126595	ALOK PANDEY
264.	126703	RANJANA BAGRI
265.	126847	BRAJESH CHAKRAVRATY
266.	127127	KIRAN NINAMA
267.	127128	RAMS EVAK MEENA
268.	127151	RAM PRAVESH TIWARY
269.	127245	BHUPENDRA RAWAT
270.	127254	SANJAY KUMAR MEENA
271.	127302	DEEPAK CHOUHAN
272.	127328	GANISH PRASAD CHANDRAVANSHI
273.	127443	PRIYANKA MISHRA
274.	127848	AKHILESHWAR SINGH
275.	127887	JAYDEV DEEPANKAR
276.	128107	PAYAL CHOUDHARY
277.	128143	KAMLESH BAMNIYA
278.	128163	PRIYA CHANDRAWAT
279.	128639	KUNAL KHERADIYA
280.	128674	ADITYARAJ SINGH THAKUR
281.	128720	ROSHNI PANDEY
282.	129122	RAJNISH KASHYAP KOL
283.	129348	DURGESH NANDINI SHARMA
284.	129676	ROHAN MANJHI
285.	130227	PRAVIN ARYA
286.	130431	OM PRAKASH PARMAR
287.	130732	ANIL KUMAR CHOUDHARY
288.	130786	SANDEEP KUMAR
289.	131060	BHANUPRATAP SINGH RANA
290.	131133	CHANDRASHEKHAR VYAS
291.	131150	OJASVIKALE

SL.No.	ROLL No.	NAME
292.	131428	SUBHASHALAWE
293.	131859	SAPANA CHOURASIYA
294.	132215	ANANDILAL DALODIA
295.	132393	RAM KUMAR SHARMA
296.	132568	JAYANT SINGH TAGORE
297.	132772	AUGNEESH GOYAL
298.	132920	AAKANSHA BECHHOTE
299.	133083	PRABHAT KUMAR PATTI
300.	133225	NIVEDITA POOSHAM
301.	133662	UTTAM KUMAR DWIVEDI
302.	134037	DIVYA PATEL
303.	134257	BHISHMA KUMAR PRAJAPATI
304.	134406	ANKIT MAURYA
305.	135395	YASHSVI SHINDE
306.	135953	FIRDOSH SHAH
307.	136335	ANAGRIKA KANAUIYA
308.	136624	SAURABH TOMAR
309.	136764	PINTOO KUMAR BAGHEL
310.	136794	ABHIJEET SWAMI
311.	136962	KANCHAN WASKALE
312.	137244	ANKITA SULTA
313.	137341	NILESHWARI DAWAR
314.	137643	NARENDRA MUWEL
315.	137769	VIJENDRA BHALEKAR
316.	137827	LOKENDRA GUPTA
317.	137832	RAJSHREE BUNDEL
318.	138543	RAMPAL SINGH KARJARE
319.	138596	BONDAR DAWAR
320.	138834	PREMLAL GOURE
321.	139084	ANKUR GUPTA
322.	139561	NEHA CHOUHAN
323.	139590	NANDRAM CHOUHAN
324.	139945	NITIN KUMAR
325.	140090	KAUSHLENDRA SINGH MAWAI
326.	140657	DEEPADODWE
327.	140727	PRANAV ANANT KANITKAR
328.	140771	MINI AGARWAL
329.	141022	AJEET SINGH
330.	141032	SUMIT PATHAK
331.	141641	NAVIN KUMAR
332.	141663	MANOJ DHAKAD
333.	141899	DEEPALI CHANDORIYA
334.	142064	SAURABH SINGH KUSHWAH
335.	142389	SAKSHI BAJPAI
336.	142560	PAWAN KUMAR SHRIVASTAVA

SL. No.	ROLL No.	NAME
337.	142768	JYOTI SINGH
338.	143693	DHANANJAY KUMAR SHUKLA
339.	143820	PRABHANSHU KUMAR SINGH
340.	144397	JAGAT PRATAP SINGH BHADOURIA
341.	144629	HEMANT KUMAR DHAKAR
342.	144700	RAJKUMAR NAGORIYA
343.	144726	SANTOSH YADAV
344.	144841	MANISH KUMAR BORKAR
345.	145087	VEERENDRADHARVE
346.	145093	KAMAL SARYAM
347.	145426	GARIMA BAJPAI
348.	145616	ATUL SINGHAL
349.	145882	SONU GOYAL
350.	146096	AJAY KUMAR RITHORIYA
351.	146700	MAHENDRA SINGH GAUTAM
352.	147032	RAJEEV SINGH PAWAIYA
353.	147601	RAVISHANKAR YADAV
354.	147659	RUCHI AGRAWAL
355.	147679	SHIVRANJAN SINGH
356.	147840	AMARJEET KAUR ARORA
357.	149418	SURAJ SHARMA
358.	149734	HIMANI YADAV
359.	150087	NAVNEET DHILLON
360.	150517	ABHISHEK SHARMA
361.	150750	VAISHALIANAND
362.	150916	VIMIT KUMAR GUPTA
363.	151753	SURENDRA KUMAR VIMAL
364.	151770	SHIVENDRA SINGH KUSHWAH
365.	152784	VIVEK PRAKASH PATSARIA
366.	153508	PRACHI SHARMA
367.	153680	PRAMOD SHAKYA
368.	153746	DAKSHDEV SHARMA
369.	154135	NARESH MUDGAL
370.	155850	AMIT KUMAR SHARMA
371.	156094	KRISHNA BIHARI MISHRA
372.	156195	RANJEET SINGH
373.	156391	AJENDRA SINGH
374.	156604	BHEEM RAO ANAND
375.	156617	SWATI PATHAK
376.	156962	ASHUTOSH GOSWAMI
377.	156982	NEERAJ KUMAR SHARMA
378.	158507	SHARIB KAUSAR
379.	158905	PAWAN SINGH
380.	159562	VIKAS KUMAR SINGH
381.	159596	UDAY BHAN BAGRI

SL. No.	ROLL No.	NAME
382.	159947	SURENDRA KUMAR AHIRWAR
383.	160124	HARSHIT JAIN
384.	160301	AJAY SINGH NARWARIA
385.	160769	RAJ KUMAR RAI
386.	161256	GIRRAJ SINGH
387.	161299	RAY SINGH BHIL
388.	161431	HINA KHAN
389.	161766	KUSHDITHYA SINGH GIRNAR
390.	161853	VISHAL SEN
391.	161998	RAJEEV KUMAR JAIN
392.	162273	PRIYANKA BUNKAR
393.	162473	GOPAL SINGH DHAKAD
394.	162754	SATYENDRA LODHA
395.	162881	PRADEEP KUMAR BHARGAVA
396.	163177	SUNIL KUMAR SHARMA
397.	163279	ROHIT RAGHUWANSHI
398.	163508	RUKHSAR BANO
399.	163683	SURESH JADAV
400.	164478	RAMBABU ANURAGI
401.	165012	SIDDHARTH KHARE
402.	165102	RAHUL PATEL
403.	165331	SANTOSH KUMAR PATEL
404.	165649	RAHUL KUMAR KHARE
405.	166181	SANGEETA AHIRWAR
406.	166365	MADHUR MISHRA
407.	166649	PREETI DEHARIYA
408.	166905	MANOJ KUMAR DHURVE
409.	167063	MONIKA SONI
410.	167494	PRAMOD KUMAR SONI
411.	167793	NISHANT SINGH THAKUR
412.	168093	RAMESHWAR THAKRE
413.	168126	JYOTI PANDEY
414.	168293	AKASH JAIN
415.	168469	GAURAV PATIL
416.	169161	NITIN KUMAR CHOUDHARY
417.	169477	KALPANA PAHADE
418.	170365	SHALINI UIKEY
419.	170593	PREETI RANI CHOURASIA
420.	170699	VISHAL SHRIVAS
421.	171807	SARITA VATTY
422.	172042	KARUNA SAHU
423.	172621	MANEESHA TIWARI
424.	172912	DEVENDRA SINGH DHURWEY
425.	172994	RITU KATARHA
426.	173042	RICHA JAIN

SL.No.	ROLL No.	NAME
427.	173062	SRISHTI PRAJAPATI
428.	173458	DEVENDRA KUMAR MARKAM
429.	173630	ASHUTOSH PATEL
430.	173838	AKANKSHA CHATURVEDI
431.	173898	POOJA PANDEY
432.	174224	RAGINI MARKO
433.	174338	FAREED AHMED
434.	174606	SHASHI BHUSHAN DUBEY
435.	174810	ARCHANA PACHORI
436.	174954	HARIOM THAKUR
437.	175151	SHILPA MALEWAR
438.	175292	NIDHI SINGH GOHAL
439.	175305	SULABH ANKIT GOUTIA
440.	175377	HARSH KUMAR JAIN
441.	176190	SHAILESH GUPTA
442.	177140	NEELAM CHOUDHARY
443.	177621	SAMPADA SARAF
444.	178443	SARLA CHADAR
445.	178568	VAN DNA SINHA
446.	180358	SHASHANK DUBEY
447.	180562	DEEPSHIKHA BHAGAT
448.	180605	SHIVANI BIRIYA
449.	180651	PRAFULLA GATHRE
450.	180985	LAXMI VERMA
451.	181125	JYOTI TIWARI
452.	181307	AASHA THAKUR
453.	181398	ASHVANEE KUMAR
454.	181491	RAINA TAMIYA
455.	182096	DIVYA RAI
456.	182844	KAVITA YEDE
457.	183134	SONI LAL GOND
458.	183389	PUSHPENDRA PANDRE
459.	183531	JAYDEV SHARMA
460.	183637	URMILA LAL
461.	184052	SIDDHARTH PATEL
462.	184186	SONIKA SINGH PARIHAR
463.	184280	DEEPTI YADAV
464.	184872	DEEPAK KUMAR DAKATE
465.	185570	RAJEEV PATHAK
466.	186038	AKTA AGRAWAL
467.	186646	POOJA TIWARI TIWARI
468.	186778	PANKAJ SINGH PATEL
469.	187132	FARHEEN KHAN
470.	187273	MUKESH MACHAR
471.	187470	NIKITA SINGH

SL. No.	ROLL No.	NAME
472.	187525	SHIKHA SONI
473.	187647	MANOJ GARWAL
474.	188877	KAILASH SASTYA
475.	189588	GUNJAN JAIN
476.	189658	RACHNA SHARMA
477.	189779	ASHISH JAIN
478.	190225	SWETA MISHRA
479.	190241	NISHANK JAIN
480.	190263	RAVINDRA KUMAR SURYAVANSHI
481.	190894	RAKESH KUMAR OJHA
482.	190923	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA
483.	191029	ASHOK KUMAR SHARMA
484.	191134	MIRA SINGH
485.	191391	RAJAT KUMAR SHRIVASTAVA
486.	191438	SANGHMITRA BAUDDHA
487.	191540	SAFALTA DUBEY
488.	191701	HITESH PRAJAPATI
489.	193036	SWETA SINGH
490.	193268	SONAM NAMDEV
491.	193331	RAHUL DUBEY
492.	193758	SHEKHAR DUBEY
493.	194297	SHRIRAM SONI
494.	194544	JYOTI BABLI KUJUR
495.	194967	DINESH CHOUDHARY
496.	195144	MANAKMANI KUMAWAT
497.	195547	SONAM RAWAT
498.	195935	RAVI SONER
499.	196186	MUKESH PANWAR
500.	196358	MANISH JAIN
501.	197023	DILIP SINGH KUSHWAH
502.	197265	AJAY JAT
503.	197333	KAILASH KANAUJ
504.	197334	PAWAN KUMAR FULFAKIR
505.	197727	KIRAN CHOUHAN
506.	197841	PANKAJ SANWALE
507.	198133	PRIYANSHI BHANWAR
508.	198161	SATYENDRA SINGH NARWARIA
509.	198218	GANESH MUKATI
510.	198421	ROHIT SINGH ALAWA
511.	199101	NIDHI LODHI
512.	199104	ABHISHEK CHOUDHARY
513.	199197	KAMANI THAKUR
514.	199377	SANDEEP UIKEY
515.	199618	KRISHNA KUMAR PADARIYA
516.	199638	PUNEET SONKAR

SL. No.	ROLL No.	NAME
517.	199660	RAO KARMENDRA SINGH JAT
518.	199888	PUNEET RAGHUWANSHI
519.	200134	SANSKRITI SHARMA
520.	201783	NADEEMA SHIRI
521.	201826	JAG PAL SINGH YADAV
522.	201850	AKHILESH KUMAR PATHAK
523.	202410	SHYAM KISHOR DWIVEDI
524.	202886	ANJALI MORI
525.	203138	AJAY THAKUR
526.	203323	HIMANI RATHOD
527.	203550	KRISHNA PRATAP SINGH CHOUDHARY
528.	204768	PAWAN KUMAR BAGHEL
529.	205087	SANGRAM SINGH GORE
530.	205300	RAHUL LAV ALAWA
531.	205758	DEEPAK RANA
532.	205826	KAILASH KUMAR WASNIK
533.	205911	BHANUPRIYA SONWANE
534.	205996	HEMANT KUMAR RAWTE
535.	206227	VANIMA PARDHI
536.	206667	AJIT DONGRE
537.	206786	RAHUL WASNIK
538.	206965	MOHIT GANVEER
539.	206980	MANOJ KUMAR THAKUR
540.	206995	ANIL KUMAR WASNIK
541.	207481	VAIBHAV THAKRE
542.	207631	JITENDRA KUMAR MESHARAM
543.	207805	ASHISH KUMAR KOTANGLE
544.	208135	MONIKA PARDHI
545.	208447	DIKSHA WASNIK
546.	208735	AAKASH KUMAR MESHARAM
547.	209319	HOMENDRA PATLE
548.	211194	SMITA DESHMUKH
549.	211342	REKHA GUJRE
550.	211415	NAVNEET PANDEY
551.	211454	CHANDRA SHEKHAR PANDEY
552.	211921	DURGESH KUMAR BHUMARKAR
553.	212153	PRASHANT UIKEY
554.	212769	MAHAVEER JATAV
555.	213011	PRAMOD KUMAR BARDE
556.	213178	KALPANA SONARE
557.	213213	VINAYPRAKASH THAKUR
558.	213726	JYOTI KHATARKER
559.	213900	ROMIT UIKEY
560.	213950	NIMESH DESHMUKH
561.	214871	BIJENDRA SINGH YADAV

SL. No.	ROLL No.	NAME
562.	216266	NISHA BANGRE
563.	216458	ROOPENDRA KUMAR DHURVE
564.	216540	SHASHANK SINGH GURJAR
565.	216814	SACHIN KUMAR DHURVE
566.	216832	JYOTI KUMBHARE
567.	217121	KETAN ADLAK
568.	217182	SANDEEP BANGRE
569.	217254	PRIYANKA JAIN
570.	217288	VAISHALY JAIN
571.	217539	ARADHANA PATEL
572.	217576	GEETA UIKEY
573.	217642	BABITA MARKAM
574.	217786	ISHA GARG
575.	218212	RAHUL DUBEY
576.	218576	SUREKHA YADAV
577.	218793	SANYOKITA RAJPUT
578.	219059	SOUMI DAS
579.	221056	SHITANSHU DHURVE
580.	221161	SURENDRA KUMAR AHIRWAR
581.	221209	MADHU CHOUDHARY
582.	221468	SANJEEV KUMAR PANDEY
583.	221895	MOUSAM PALEWAR
584.	222002	AJAY WAGHMARE
585.	222099	REENA YADAV
586.	222510	SHIVANI SANGULLE
587.	222837	SANUJ MARAVI
588.	223174	VIPIN SINGH
589.	223232	DEEPA MANDVE
590.	223265	PRATIBHA PADWAR
591.	223905	VARSHA JAIN
592.	224279	JITENDRA KUMAR PATEL
593.	224338	PURUSHOTTAM MEGHWAL
594.	224431	KALYANI VERKADE
595.	224432	RAJNISH JATAV
596.	224450	BRIJLAL MARKAM
597.	224548	KAMLESH AHIRWAR
598.	224874	SAUMYA TRIPATHI
599.	225091	NUTAN UIKEY
600.	225158	GIRISH KUMAR CHOUHAN
601.	225360	VAIBHAV DESHMUKH
602.	225813	SHUBHANGI MALJONIA
603.	225886	AYUSH KUMAR ALAWA
604.	226222	ROHIT YADAV
605.	226400	KISHOR VAMANKAR
606.	226480	TS RAGHAVENDRA

SL. No.	ROLL No.	NAME
607.	226499	PUSHPENDRA DWIVEDI
608.	226571	DEVRAJ CHOUDHARI
609.	226755	KALYANI PANDEY
610.	226810	ADITYA JANGHELA
611.	228237	KIRAN DHAKAD
612.	228397	VIJENDRA SINGH MUZALDA
613.	229066	KAVITA SHYAM
614.	229092	ROHIT BAMHORE
615.	229253	PREETI THAKUR
616.	230007	SAN JAY KUMAR BARAIYA
617.	230543	TARUN RAHANGDALE
618.	230844	SUDHANSHU SONI
619.	231925	DEVENDRA PRATAP SINGH
620.	232039	RAJKUMAR CHANDRAVANSHI
621.	232093	VIJAY KUMAR
622.	232107	SANGEETA MERAVI
623.	232501	PUSHKAR NATH PATEL
624.	233499	MEGHA SUMAN
625.	234318	DHANRAJ HARIYALE
626.	234840	RAJ KUMAR ROY
627.	234963	ANURAG UIKEY
628.	235200	RAKSHA MARAVI
629.	235582	AKHIL RATHORE
630.	235760	MANOJ KUMAR PRAJAPATI
631.	236128	SANTOSH KUMAR YADUWANSHI
632.	236148	ANKIT SONI
633.	236379	NEELESH PATEL
634.	236507	PRIYA SINDHI
635.	236631	SANGEETA PANDOLIA
636.	236727	ANURAG SANTORE
637.	237050	KAVIRAJ MEHRA
638.	237810	SUBHASH SONI
639.	237823	VIKAS KUMAR TAMRAKAR
640.	238151	KEERTI ASATI
641.	238621	MANOJ KUMAR BELVANSHI
642.	239691	VIVEK KUMAR PARASTE
643.	239721	MUMAL BOHAT
644.	239882	RITU MUDGAL
645.	239928	AKSHAY SINGH TOMAR
646.	240094	SUMIT KUMAR GURJAR
647.	240350	VINAYAK SINGH
648.	241686	MAYANK MISHRA
649.	242028	DILEEP KUMAR SHRIVAS
650.	242105	MONIKA JHARIYA
651.	242513	POOJA PATEL

SL. No.	ROLL No.	NAME
652.	242757	SHYAM LAL SINGORE
653.	242981	YOGITA BHATNAGAR
654.	243218	SANTOSH KUMAR
655.	243377	NITA JAIN
656.	243508	DHARMPAL SINGH MASHRAM
657.	243575	ABHAY RAWAT
658.	243733	NIKESH KUMAR BHIDE
659.	244654	SUNEEL KUMAR UIKEY
660.	245942	PUSHPENDRA KUMAR KUSHWAHA
661.	246555	LALITA GARG
662.	246643	SARVENDRA KUMAR PANDEY
663.	248287	DAYARAM VASUNIA
664.	248623	KRATIKA MOHTA
665.	248711	ANIL KUMAR DHAKAD
666.	248978	JYOTI SUNARIYA
667.	249405	PULKIT JAIN
668.	249431	DIVYA CHOPRA
669.	250105	NARENDRA SINGH DAMAR
670.	250350	ARPAN YADUVANSHI
671.	250427	DINESH KUMAR DANGI
672.	250606	POOJA SHARMA
673.	250697	MUKUL JAIN
674.	250726	SHANTILAL CHANDRAWANSHI
675.	250840	JAYA YADAV
676.	251430	MANISH RAJ
677.	251678	YOGENDRA KUMAR THAGELE
678.	251934	VIBHUTI NARAYAN MISHRA
679.	252084	RAVI MISHRA
680.	252280	ANJALI DWIVEDI
681.	252321	NEELAM TIWARI
682.	252554	SHWETA SINGH
683.	252825	MUKESH KUMAR MISHRA
684.	253350	NEELESH PANDEY
685.	253358	ASHISH KUMAR
686.	253397	SANDEEP SINGH
687.	253757	ASHISH SHARMA
688.	254396	VIKAS KUMAR ANAND
689.	254491	ANAND MISHRA
690.	254550	AKHILESH KUMAR DEEPANKA
691.	254777	SOHAN SINGH CHOPRA
692.	255262	MAMTA MISHRA
693.	255483	DHARMENDRA KUMAR AHIRWAR
694.	256254	RAMESHWAR PRATAP SINGH PATEL
695.	256275	JEETENDRA KUMAR PATEL
696.	256527	GAYATRI TIWARI
697.	256615	ABHAYRAJ SINGH

SL.No.	ROLL No.	NAME
698.	257089	PUSHRAJ SINGH
699.	257336	SAROJ YADAV
700.	257367	KRANTI VARMA
701.	257817	AMRITA SUMAN
702.	258986	SANDEEP SINGH ARORA
703.	259861	SHRIKANT TRIPATHI
704.	259974	ABHISHEK SINGH BAGHEL
705.	260247	LAKSHMI NARAYAN GARG
706.	260480	JAI SINGH SHIKARWAR
707.	260733	ANANT SAGAR TIWARI
708.	260822	REETIMA PURI
709.	261810	VIVEK KUMAR GHARU
710.	262040	KULDEEP SHRIVASTAVA
711.	262197	NIRMLA MALVIYA
712.	263073	ETI SHARMA
713.	264150	PRASHANT TRIVEDI
714.	264253	PRATIBHA SHARMA
715.	264480	SHWETA GUPTA
716.	265172	SHUBHAM SHARMA
717.	265660	SHILPI SAHU
718.	265970	PRAGYA BHARTIYA
719.	266189	SONAL SIDAM
720.	268392	VINAY PRAJAPATI
721.	268564	JYOTI GUPTA
722.	268637	AMRITA GARG
723.	270078	MOTILAL KUSHWAHA
724.	270096	NAVEEN TIWARI
725.	271024	MANISH KUMAR TRIPATHI
726.	271148	RAVI SHANKAR SHUKLA
727.	271728	SHAILENDRA BIHARI SHARMA
728.	271964	ROSHANI SINGH THAKUR
729.	271990	NANDINI SHARMA
730.	272025	ABHINESH YADAV
731.	272391	NEETU SINGH GOND
732.	272785	NILESH KUMAR SHARMA
733.	273160	ANUROOP SINGH THAKUR
734.	273519	SONU KURMI
735.	273692	DINESH SINGH THAKUR
736.	273702	AJAY GOUR
737.	274220	KHYATI MISHRA
738.	274709	ANAMIKA SARAF
739.	274832	VIKAS AGRAWAL
740.	275056	RITU RAY
741.	275284	AKANKSHA JAIN
742.	275424	ADITI JAIN
743.	275874	SHEETAL PATERIYA
744.	276091	NAHID ANJUM

SL. No.	ROLL No.	NAME
745.	276625	ANSHUL GARG
746.	277097	SUNAYNA BRAMHE
747.	277297	DINESH MUWEL
748.	277678	SWATI SINGH BAGHEL
749.	277730	PRINCE SAHU
750.	278130	RITESH KUMAR SHIV
751.	279802	YATISH SHUKLA
752.	282745	SHRAVAN KUMAR
753.	282754	YASHVANT SINGH
754.	283130	NAVMIDAS CHOUKIKAR
755.	283228	SUCHITRA RAJAVAT
756.	283574	DOLLY RAIKWAR
757.	284371	DEVESH SARATHE
758.	285214	DEEPI TIWARI
759.	285923	VEER SINGH SHIKARI
760.	285934	PARAG JAIN
761.	285989	AJAY PRAKASH LODHI
762.	286170	KULDEEP SINGH JADON
763.	286173	SHWETANK CHOUDHARY
764.	287161	SUSHMA VISHWAKARMA
765.	288568	HALDHAR PRASAD MISHRA
766.	288675	BRIJENDRA SINGH RATHOUR
767.	289025	REENA SINGH RATHOUR
768.	289506	VIKAS DAWAR
769.	290037	RAJU DAWAR
770.	291186	VIVEK MOHAN CHAUDHARY
771.	291880	KULDEEP BARIA

महत्वपूर्ण टीप:-

1. सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का परीक्षा परिणाम पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जाएगी.
2. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
3. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा. आयोग कार्यालय में रखी सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2016 का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अध्वधीन रहेगा.
6. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2017

क्र. जी. बी./दो(26)2017/671.-नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, म. प्र. भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसार्जों से बाईंडिंग एवं अन्य संबंधित विधाओं के कार्य कराने हेतु तकनीकी एवं कॉमर्शियल भाग की-डेट्स अनुसार ऑनलाईन ई-टेंडर <https://mpeproc.gov.in> से दिनांक 18 अप्रैल, 2017 समय अपराह्न 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं. तकनीकी भाग दिनांक 18 अप्रैल, 2017 को अपराह्न 3.30 बजे एवं निविदा का कॉमर्शियल भाग दिनांक 19 अप्रैल, 2017 को अपराह्न 2.30 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाऊनलोड की जावेगी.

2. ऑनलाईन तकनीकी भाग के परिशिष्ट-एक की जानकारी की हार्डकापी, स्थापित उपकरणों की सूची, एवं निविदा में चाहे गये दस्तावेजों व नियम एवं शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे.

3. विज्ञप्ति, तकनीकी विवरण, नियम एवं शर्तों को <https://mpeproc.gov.in> पर अवलोकन हेतु रखा गया है एवं इस कार्यालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है.

4. किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना <https://mpeproc.gov.in> एवं www.govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध रहेगी.

राजेश कुमार कौल,

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश भोपाल.

(1118)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, वृत्त गोविन्दपुरा भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल

क्र.642/अ. वि. अ./वृत्त गो./17.—आवेदक श्री प्रमोद कुमार सिंह आत्मज श्री यू. बी. सिंह, निवासी-शिवाजी नगर 6 नं. बस स्टॉप भोपाल की संस्था "गणपति ट्रस्ट" न्यास के द्वारा म. प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2017 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, तो लिखित में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से उक्त प्रकरण में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

- | | | |
|--------------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम व पता | : | "गणपति ट्रस्ट" |
| 2. न्यास कार्यालय का पता | : | 256, जोन-2, एम. पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निरंक |

मुकुल गुप्ता,

अनुविभागीय अधिकारी.

(1115)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक राजरतन फाउण्डेशन पता-11/2, मीरा पथ धेनु मार्केट, इन्दौर तर्फे सुनील चौरडिया पिता श्री चंदनमल चौरडिया निवासी-26 बी,

व्याह, एन. रोड इन्दौर अन्य-5 के द्वारा राजरतन फाउण्डेशन कार्यालय पता-11/2, मीरा पथ धेनु मार्केट, इन्दौर, जिला इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	राजरतन फाउण्डेशन
पता	:	कार्यालय पता-11/2, मीरा पथ धेनु मार्केट, इन्दौर
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति 1,01,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख एक हजार मात्र) है।

आज दिनांक 24 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1089)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक महावीर प्रसाद सुदामा देवी केडिया चेरिटेबल ट्रस्ट पता-160, कंचनबाग इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विनय केडिया पिता कैलाशपति केडिया पता-10, सांकेत नगर, इन्दौर के द्वारा महावीर प्रसाद सुदामा देवी केडिया चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-160, कंचनबाग इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	महावीर प्रसाद सुदामा देवी केडिया चेरिटेबल ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय पता-160, कंचनबाग इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) के फंड से न्यास शुरू किया जा रहा है।

आज दिनांक 06 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1090)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक हैप्पी वाण्डर्स ट्रस्ट इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री सुधाकर ऊर्ध्वरेषे अन्य-4, पता-296, अनूप नगर इन्दौर द्वारा हैप्पी वाण्डर्स ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-8 दिलीपसिंह कॉलोनी, इन्दौर म. प्र. जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हैप्पी वाण्डरर्स ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय-8, दिलीपसिंह कॉलोनी, इन्दौर जिला इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है।

आज दिनांक 08 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1091)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री उमाकान्त पिता स्व. श्री अवध बिहारी त्रिपाठी पता-495 कालानी नगर एक्सटेंशन इन्दौर के द्वारा श्री हनुमान आराधना मण्डल धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-495, कालानी नगर एक्सटेंशन इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	" श्री हनुमान आराधना मण्डल धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट "
पता	:	कार्यालय-पता-495, कालानी नगर एक्सटेंशन इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) है, जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है।

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1092)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

प्रवीण कुमार पिता कृष्णलाल शाह पता-12, अहिल्या माता कॉलोनी, इन्दौर के द्वारा श्री वल्लभ नगर जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-33-34/2, वल्लभ नगर, इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"श्री. वल्लभ नगर जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक ट्रस्ट"
पता	:	कार्यालय-पता-33-34/2, वल्लभ नगर, इन्दौर (म. प्र.).
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में फंड के रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र) है, जिससे न्यास शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1093)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक स्व. श्रीमती केशरबाई रघुवंशी पारमार्थिक न्यास, इन्दौर (म. प्र.) तर्फें कार्यकारी न्यासी श्री तुलसीराम पिता श्री दुर्गासिंहजी रघुवंशी, निवासी-149/35, श्रीगर इन्दौर के द्वारा स्व. श्रीमती केशरबाई रघुवंशी परमार्थिक न्यास, इन्दौर कार्यालय पता-ग्राम खजराना गणेश नगर शिव मंदिर चैतन्य आश्रम, इन्दौर के जिला इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"स्व. श्रीमती केशरबाई रघुवंशी परमार्थिक न्यास, इन्दौर"
पता	:	कार्यालय-पता ग्राम खजराना गणेश नगर शिव मंदिर चैतन्य आश्रम, इंदौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	दानगृहिता माता स्वर्गीय केशरबाई रघुवंशी पारमार्थिक धार्मिक न्यास पता-चैतन्य आश्रम, शिव हनुमान मंदिर केशरबाई धर्मशाला सिटी बस डिपो के पीछे, गणेश नगर खजराना इन्दौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 521 एवं 595 की रकबा 3.006 हेक्टर में से कुछ भाग करीब 5,000 वर्गफीट है.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति 500/- (अक्षरी रुपये पांच सौ मात्र) है.

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1094)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री अशोक पिता श्री छतरमल माहेश्वरी पता-13 श्रद्धानंद मार्ग छावनी इन्दौर के द्वारा आर्थोस्कोपी एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन, इन्दौर कार्यालय पता-फ्लेट नं. 202 मेगनम टॉवर यूनिट 3 16/1 साउथ तुकोगंज इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"आर्थोस्कोपी एज्युकेशन एण्ड रिसर्च फाउन्डेशन"
पता	:	कार्यालय पता-फ्लेट नं. 202 मेगनम टॉवर यूनिट 3 16/1 साउथ तुकोगंज इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 2,100/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ रुपये मात्र) है, जिससे न्याय शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1095)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री अशोक पिता श्री छतरमल माहेश्वरी पता-13 श्रद्धानंद मार्ग छावनी इन्दौर, के द्वारा Ent and Head & Neck Disease Research Foundation, इन्दौर कार्यालय पता-47/3, IDA Complex Sapna Sangeeta Rode, इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"Ent and Head & Neck Disease Research Foundation"
पता	:	कार्यालय पता-47/3, IDA Complex Sapna Sangeeta Rode,
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 2,100/- (अक्षरी रुपये दो हजार एक सौ रुपये मात्र) है, जिससे न्याय शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1096)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री प्रितेश रमेशचन्द्र जैन पता-102, ए ब्लॉक ग्रीन वेली बिल्डींग अलोक नगर इन्दौर, के द्वारा श्री प्राचीन जैन श्वेताम्बर जीर्णोद्धार ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-102, ए ब्लॉक ग्रीन वेली बिल्डींग अलोक नगर इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री प्राचीन जैन श्वेताम्बर जीर्णोद्धार ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय पता-102, ए ब्लॉक ग्रीन वेली बिल्डींग अलोक नगर इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति में फंड के रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) हैं, जिससे न्याय शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1097)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री राहुल पिता रमेश भाटिया पता-RB सोहम पार्क बिचौली मर्दाना इन्दौर के द्वारा आर्य वैदिक संस्थान, इन्दौर कार्यालय पता हाउस नं. 3 हिल व्यूह कालोनी बिचौली मर्दाना इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“आर्य वैदिक संस्थान”
पता	:	कार्यालय पता-हाउस नं. 3 हिल व्यूह कालोनी बिचौली मर्दाना इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 2,50,000/- (अक्षरी रुपये दो लाख पचास हजार मात्र) है, जिससे न्याय शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1098)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री विक्रम सिंह पिता राम सिंह गुर्जर पता-1/3 बाबु मुराई कालोनी इन्दौर, के द्वारा श्री देवनारायण देवधर्म धाम (सर्व गुर्जर समाज) धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इन्दौर कार्यालय पता-1/3 बाबु मुराई कालोनी इन्दौर म. प्र. का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात्

(30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री देवनारायण देवधर्म धाम (सर्व गुर्जर समाज) धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय पता-1/3 बाबु मुराई कालोनी इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) हैं, जिससे न्याय शुरू किया जा रहा है.

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1099)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

श्री हजरत नफीस मिया नक्शाबंदी चेरिटेबल ट्रस्ट पता-76, इल्यास कालोनी खजराना, इन्दौर (म. प्र.) की ओर से श्री हयात उल्ला पिता हजरत नफीस अहमद, निवासी-75, इल्यास कालोनी खजराना इन्दौर (म. प्र.) द्वारा पब्लिक ट्रस्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन अनुसार आवेदित ट्रस्ट का पंजीयन क्रमांक 1260/04/08/2016 द्वारा पंजीयन किया गया. आवेदक द्वारा दिनांक 18-12-16 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर, ठहराव प्रस्ताव दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 अनुसार ट्रस्ट का नाम परिवर्तन कर, हजरत नफीस मिया नक्शाबंदी चेरिटेबल ट्रस्ट के स्थान पर लाईफ चेरिटेबल ट्रस्ट रखा गया है. जिसे प्रकाशित किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“लाईफ चेरिटेबल ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय पता-75, इल्यास कालोनी खजराना, इन्दौर (म. प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	रुपये पुर्वानुसार 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र) है

आज दिनांक 06 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(1100)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक श्री सांवरिया सेठ गौशाला ट्रस्ट, पता-94, अहिल्यापुरा, गोरकुण्ड चौराहा, इन्दौर (मध्यप्रदेश), तर्फे अधिवक्ता श्री जगदीश जोशी द्वारा श्री सांवरिया सेठ गौशाला ट्रस्ट, पता-94, अहिल्यापुरा, गोरकुण्ड चौराहा, इन्दौर, जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री सांवरिया सेठ गौशाला ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय पता-94, अहिल्यापुरा, गोरकुण्ड चौराहा, इन्दौर जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 5,100/- (अक्षरी रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) दान की राशि से न्याय शुरू किया जा रहा है।

आज दिनांक 28 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1103)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक “परम पूज्य श्री बापू फाउण्डेशन” पता-26/1, मारूति चेम्बर, मोती तबेला मेनरोड तल मंजिल, फायर बिग्रेड के सामने, इन्दौर (म. प्र.) तर्फ कार्यकारी न्यासी श्री उमेश कुमरावत पिता श्री मिश्रीलाल जी कुमरावत द्वारा “परम पूज्य श्री बापू फाउण्डेशन” पता-26/1, मारूति चेम्बर, मोती तबेला मेनरोड तल मंजिल, फायर बिग्रेड के सामने, इन्दौर (म. प्र.) का पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“परम पूज्य श्री बापू फाउण्डेशन”
पता	:	कार्यालय पता-26/1, मारूति चेम्बर, मोती तबेला मेनरोड तल मंजिल, फायर बिग्रेड के सामने, इन्दौर (म. प्र.).
अचल संपत्ति	:	(1) दो प्लेट “अनिल सूद सदन” आदर्श आश्रम खसरा नंबर 48/8 पैकी भूमि पर निर्मित भवन कुल साईज 415.50 वर्गफीट तथा एक प्लेट इसी भवन पर होकर जिसका एरिया 450 वर्गफीट है। 2. ग्राम बाडकुम्भेद तहसील व जिला उज्जैन पटवारी हल्का नम्बर 38 में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 456/1/1 रकबा 0.250 हेक्टर भूमि है।
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 3,000/- (अक्षरी रुपये तीन हजार मात्र) हैं।

आज दिनांक 03 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(1104)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 तीस (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम 1963 नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक Rotary Meghdoot Charitable Trust, पता-141-सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा इन्दौर तर्फे कार्यकारी न्यासी श्री विक्रम गुप्ता पिता श्री हेमचन्द्र गुप्ता पता-101, आशियाना अपार्टमेंट 180, श्रीनगर मेन, इन्दौर के द्वारा Rotary Meghdoot Charitable Trust, कार्यालय पता-141-सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा, इन्दौर जिला इन्दौर म. प्र. द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 (2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	"Rotary Meghdoot Charitable Trust,"
पता	:	141-सी, इलेक्ट्रानिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा इन्दौर (म प्र.)
अचल संपत्ति	:	निरंक
चल संपत्ति	:	चल सम्पत्ति रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र) हैं।

आज दिनांक 17 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(1105)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा

श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट, हरगनाखेड़ी द्वारा

अध्यक्ष श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. अनंदीलाल गुप्ता

निवासी ग्राम हरगनाखेड़ी गंजबासौदा जिला विदिशा.....आवेदक,

बनाम

मध्यप्रदेश शासन,

समक्ष : पंजीयक लोक न्यास, बासौदा.

आवेदक श्री बाबूलाल गुप्ता पुत्र स्व. अनंदीलाल गुप्ता, निवासी ग्राम हरगनाखेड़ी, तहसील बासौदा प्रस्तावित अध्यक्ष द्वारा श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट, हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन हेतु म. प्र. सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

1. न्यास का नाम : श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट, हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा
2. न्यास का कार्यालय : श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट, हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा
3. न्यास का कार्य क्षेत्र : जिला विदिशा.
4. न्यास का उद्देश्य : ग्राम हरगनाखेड़ी तहसील गंजबासौदा, तथा आसपास के धार्मिक भक्तजनों एवं आस्थावान लोगों का ईश्वर के प्रति भक्तिभाव जगाकर, मानव सेवा हेतु समर्पित कराना. मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन तथा आय-व्यय का प्रबंधन एवं समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना, धार्मिक सामाजिक कार्यों का आयोजन तथा धार्मिक सामाजिक संस्थानों, मंदिर आदि का जीर्णोद्धार करना, मानव सेवा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में आगे बढ़कर सहयोग करना आदि.

19. न्यास की चल सम्पत्ति : संस्था के नाम से पृथक् से खाता खोला जावेगा. धन के आहरण का अधिकार किन्हीं दो ट्रस्टी (अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षरों से ही होगा, किसी भी कार्य के लिए एक समय में 5,000/- तक व्यय का अधिकार होगा.
20. न्यास की अचल सम्पत्ति : श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा स्थित है तथा ग्राम हरगनाखेड़ी तहसील बासौदा स्थित भूमि आ. क्र. 397/1 रकवा 0.019 हे. है.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस श्री रामजानकी मंदिर ट्रस्ट, हरगनाखेड़ी, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा के पंजीयन में जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो, तो वह विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से एक माह के अंदर इस कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें. अन्यथा ट्रस्ट पंजीयन की विधिवत आगामी कार्यवाही पूर्ण की जावेगी. प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24 अप्रैल, 2017 नियत है.

आज दिनांक 07 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया.

तृप्ति श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(1085)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र./04/बी-113(1)/2016-17.

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिये]

आवेदक रमाशंकर मिश्रा पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप मिश्रा, निवासी 421, मेनरोड लक्कड़खाना, लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर के द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2017 को "श्री हरिनाम सेवा न्यास ट्रस्ट" स्थित 421, मेनरोड, लक्कड़खाना, लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता हूँ.

अतः मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम	:	"श्री हरिनाम सेवा न्यास ट्रस्ट"
पता	:	421, मेनरोड लक्कड़खाना, लश्कर, तहसील व जिला ग्वालियर
चल सम्पत्ति	:	11,000/- रुपये
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(1086)

प्र.क्र./04/बी-113(1)/2016-17.

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5(1) देखिये]

आवेदक सुनील कुमार दोहरे पुत्र स्व. श्री गोधनलाल दोहरे, निवासी सिविल डिस्पेंसरी के पास, 60, हेमसिंह की परेड लश्कर, ग्वालियर

के द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2017 को "स्व. श्री गोधनलाल दोहरे स्मृति समाज सेवा न्यास" स्थित मकान नं. 27, विनय नगर सेक्टर-1, सिद्धेश्वरी माता मंदिर के पास, लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. ने 1951(1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम	:	"स्व. श्री गोधनलाल दोहरे स्मृति समाज सेवा न्यास"
पता	:	मकान नं. 27, विनय नगर सेक्टर-1, सिद्धेश्वरी माता मंदिर के पास लश्कर ग्वालियर (म. प्र.).
चल सम्पत्ति	:	21,000/- रुपये
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(1087)

प्र.क्र./04/बी-113(1)/2016-17.

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा-2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5(1) देखिये]

आवेदक भूपेन्द्र जैन पुत्र श्री भगवान दास जैन, निवासी-93, लक्ष्मीबाई कॉलोनी, पड़ाव, ग्वालियर के द्वारा "रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 सर्विस ट्रस्ट" स्थित राठी बिल्डिंग सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर, म. प्र. ने 1951(1951 का तीसवा) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को विचार के लिये लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है।

अतः मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

लोक न्यास का नाम	:	"रोटरी इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3053 सर्विस ट्रस्ट"
पता	:	राठी बिल्डिंग सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म. प्र.)
चल सम्पत्ति	:	65,000/- रुपये
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

(1088)

विजय राज,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

रीवा, दिनांक 02 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/क्यू.-कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5
1.	सरदार पटेल बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., नौढ़िया	1160/28-10-2014	2285/08-12-2014	एम. एल. साकेत
2.	विन्ध्यांचल बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., मऊगंज	1145/28-10-2014	2151/21-11-2014	एम. एल. साकेत
3.	क्रिययोग वैज्ञानिक सत्यम बीज उत्पा. शिवपुर तमरी	1159/28-10-2014	2284/08-12-2014	एम. एल. साकेत
4.	आदर्श साग-सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., तिवरिगवां	1230/17-11-2014	239/11-02-2015	एम. एल. साकेत
5.	शिव साग-सब्जी उत्पा. सह. समिति मर्या., पिपरा	1264/17-11-2014	216/11-02-2015	एम. एल. साकेत
6.	राज हंस बीड़ी उत्पा. सह. समिति मर्या., मऊगंज	1262/17-11-2014	225/11-02-2015	एम. एल. साकेत
7.	बुनकर सहकारी समिति मर्या., घुरेहटा	633/19-12-1984	1570/29-08-2013	एम. एल. साकेत
8.	निधि महिला प्राथ. उप. भंडार मर्या., मऊगंज	784/05-01-1997	1570/29-08-2013	एम. एल. साकेत
9.	वर्सी महिला उत्थान समूह उप-भंडार मर्या., उमरी माधौ	1259/17-11-2014	237/11-02-2015	एम. एल. साकेत
10.	महिला दुग्ध उत्पादक उप भंडार मर्या., दुवगवां	1019/12-11-2010	2089/14-11-2014	एम. एल. साकेत
11.	दुग्ध सहकारी समिति मर्या., डाढ़ा	1124/16-10-2014	416/14-03-2016	एम. एल. साकेत
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिवरिगवां	1114/04-10-2014	406/14-03-2016	एम. एल. साकेत
13.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., महेवा	1113/04-10-2014	405/14-03-2016	एम. एल. साकेत
14.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वेलहई	923/10-08-2009	381/14-03-2016	एम. एल. साकेत
15.	महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., नौढ़िया	1087/17-01-2012	379/14-03-2016	एम. एल. साकेत
16.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., डाढ़	975/16-08-2010	377/14-03-2016	एम. एल. साकेत
17.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या. नंदिनी	--	376/14-03-2016	एम. एल. साकेत
18.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., गोदरीन-10	981/13-09-2010	703/05-05-2016	एम. एल. साकेत
19.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., वांसा	1004/28-10-2010	707/05-05-2016	एम. एल. साकेत
20.	प्राथ. दुग्ध सहकारी समिति मर्या., सर न. 1	1006/30-10-2010	704/05-05-2016	एम. एल. साकेत
21.	अष्ट भुजी साग-सब्जी सह. समिति, सोनवर्षा	1236/11-11-2014	249/11-02-2015	एम. एल. साकेत
22.	जय हनुमान साग-सब्जी सह. समिति, जोरौट	1239/11-11-2014	249/11-02-2015	एम. एल. साकेत
23.	महिला बहु. स. स. मर्या., करहिया	857/06-06-2003	1571/29-08-2013	एम. एल. साकेत
24.	पटिया पत्थर उद्योग स. स. मर्या., घेती	373/26-11-1963	1568/29-08-2013	एम. एल. साकेत शा. अंश पूंजी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया

तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई भी रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एम. एल. साकेत,

सह. निरीक्षक एवं परिसमापक.

(1081-A)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	ननकी महिला प्राथ. सह. भंडार मर्या., चाकघाट	789/23-03-1998	530/18-03-2016
2.	सुशीला म. बहु. सह. स. मर्या., चाकघाट	865/19-02-2004	525/18-03-2016
3.	महिला बहु. सह. स. मर्या., घुरेहटा	814/25-10-2014	527/18-03-2016
4.	महिला प्राथ. उप. सह. स. बजरंग नगर	727/21-06-1993	528/18-03-2016 (पुर्नजीवित)
5.	नागरिक साख सहकारी समिति मर्या., रीवा	07/14-01-2004	532/18-03-2016
6.	महिला गृह उद्योग सहकारी समिति मर्या., घोंघर रीवा	694/11-07-1998	531/18-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सुशील शुक्ला,

सह. निरीक्षक.

(1081-B)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

दिनांक 31 नवम्बर, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बघेल बीज उ. स. मर्या., लालगाँव	1186/28-10-2014	2272/08-12-2014

1	2	3	4
2.	हनुमान बीज उ. स. मर्या., उमरी	1156/28-10-2014	2158/21-11-2014
3.	महिला दुग्ध उत्पा. उ. स. मर्या., लैन (सेमरिया)	1081/30-08-2011	2083/14-11-2014
4.	देवेन्द्र साग-सब्जी उ. स. स., मर्या., कोनीकला	1257/17-11-2014	210/11-02-2015
5.	हरिजन चर्मोद्योग स. स., कल्याणपुर		1894/28-10-2013
6.	लक्ष्मी बुनकर स. स. मर्या., मऊ	112/28-02-1998	1894/28-10-2013
7.	त्रिमूर्ति महिला हाथकरघा स. स. मर्या., तिलखन	-	1894/28-10-2013
8.	शिवाजी दुग्ध स. स. मर्या., बडागांव	764/11-07-1997	1894/28-10-2013
9.	मछुआ स. स. मर्या., खैरहन	1050/15-03-2011	501/18-03-2016
10.	प्राथ दुग्ध स. स. मर्या., सोनौरी	1017/03-01-2011	378/14-03-2016
11.	प्राथ दुग्ध स. स. मर्या., हरदुआ	950/30-04-2011	375/14-03-2016
12.	प्राथ दुग्ध स. स. मर्या., मडौ	925/10-08-2009	374/14-03-2016
13.	महिला प्राथ. दुग्ध. उ. स. स. मर्या., कंचनपुर	1046/07-01-2011	373/14-03-2016
14.	दुग्ध उ. स. स. मर्या., पाडर	1110/04-10-2013	403/14-03-2016
15.	दुग्ध उ. स. स. मर्या., मछिगांवा	1123/16-10-2014	415/14-03-2016
16.	बीज उ. स. स. मर्या., मनिका	1204/28-10-2014	2279/08-12-2014
17.	अनुरन्ध बीज स. स. मर्या., सोनोरी	1175/28-10-2014	2296/08-12-2014
18.	कृष्णा बीज उ. स. स. मर्या., चढई	1177/28-10-2014	2297/08-12-2014
19.	शुभी बीज उ. स. स. मर्या., चाकधार	1203/28-10-2014	2308/08-12-2014
20.	प्रकाश बीज उ. स. स. मर्या., रायपुर	1174/28-10-2014	2148/21-11-2014
21.	श्री हनुमान आलू-प्याज सब्जी मझिगवां	1233/17-11-2014	24/11-02-2015
22.	साग-सब्जी उत्पा. स. स. मर्या., मझिगवां	1246/17-11-2014	218/11-02-2015
23.	मुस्कान वेलफेयर उ. स. स. मर्या., त्योंथर	1220/17-11-2014	248/11-02-2015
24.	स्व. रमदेइया बहु. उ. स. स. मर्या., चाकघाट	836/23-07-2002	1569/29-08-2013
25.	दुग्ध उत्पा. स. स. मर्या., अतरैबा	934/23-11-2009	1026/20-12-2012
26.	दुग्ध उ. स. स. मर्या., सहलोलवा	715/18-04-2009	1027/20-12-2012
27.	सोनादेवी म. बहु. स. स. मर्या., सहलोलवा		

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

अनिल कुमार गुप्ता,

सह. निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., कटियाँपाड़र	1128/17-10-2014	420/14-03-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., ककरहा	1019/30-11-2010	400/14-03-2016
3.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., हर्दी खुर्द	1095/10-04-2013	401/14-03-2016
4.	शिवशक्ति दुग्ध उत्पा. सह. समि., गोदरीन	2998/04-01-2010	399/14-03-2016
5.	शिव औषधीय पौधा उत्पा. एवं मधुमख्खी पालन, मिथौरा	850/21-03-2003	537/18-03-2016
6.	रामावतार बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., जल्दर	1269/11-07-2015	536/18-03-2016 शा. अंश पूंजी
7.	भागवत बीज उत्पा. सह. समिति मर्या., चौखड़ा		535/18-03-2016
8.	सत्या ईंधन क्रय-विक्रय सह. समिति. मर्या., नंदना	770/03-05-1997	534/18-03-2016
9.	विंध्य वेतन कर्मचारी साख सह. समिति मर्या., रीवा	257/10-11-1980	533/18-03-2016
10.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., रामपुर (मनगवों)	961/22-06-2016	357/14-03-2016
11.	कृष्णा दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., सेमरियाँ	607/13-12-1997	596/14-03-2016 शा. अंश पूंजी

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एस. के. झा,

सह. निरीक्षक (आडिट).

(1081-D/E)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

दिनांक 09 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	न्यू आदर्श भेड़-बकरी कुक्कुड पा. स. स. उमरी	919/04-07-2009	579/18-03-2016
2.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति मऊगंज	811/25-11-1999	522/18-03-2016

1	2	3	4
3.	पर्यावरण महिला बहुधंधी स. स. मर्या., रीवा	791/21-01-1998	523/18-03-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., बरहा गुड़वार	945/11-02-2010	390/14-03-2016
5.	बलराम दुग्ध उत्पादक सह. समिति नौढ़िया	1087/17-01-2012	389/14-03-2016
6.	कबीर बुनकर सह. स. मर्या., गोविन्दगढ़	1482/07-07-2009	1890/28-10-2013
7.	गोकुल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, क्योरी	1072/21-01-2011	388/14-03-2016
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, रतनगवां	1051/20-04-2011	387/14-03-2016
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कुशवार	1066/13-06-2011	386/14-03-2016
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज	1126/17-10-2014	418/14-03-2016
11.	महिला बहुउद्देशीय सह. समिति वार्ड 14, रीवा	834/12-06-2002	520/18-03-2016
12.	जवाहर सिलाई उद्योग सह. स. मर्या., रीवा	06/17-09-1949	1890/28-10-2013 शा. अंश पूंजी
13.	माँ काली सीमेंट टंकी एवं गमला उद्योग स. स., रीवा	833/01-06-2002	1890/28-10-2013
14.	आदर्श चूना उद्योग स. स. मर्या., रीवा	454/27-05-1964	1890/28-10-2013

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

आर. पी. सिंह,
सह. निरीक्षक.

(1081-F/G)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	कर्म. बीज उत्पा. सह. स. मर्या., देवास	1184/28-10-2014	2305/08-12-2014
2.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. स. मर्या., करैला	958/04-10-2010	2088/14-11-2014
3.	कृषि महाविद्यालय सह. स. मर्या., रीवा	487/13-09-1965	1182/27-06-2014
4.	इंद्रिा नारी कल्याण उद्योग सह. स. रीवा	654/04-03-1987	1580/31-08-2013
5.	हरिजन आदि. पि. वर्ग मछुआ सह. स., मनगंवा	750/05-08-1996	1182/27-06-2014

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा

प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

लेखराम द्विवेदी,

व. स. नि.

(1081-H)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अक्षर अगरबत्ती निर्माण सह. स. मर्या., जौरी	1254/17-11-2014	540/18-03-2016
2.	महिला बहु. सह. स. मर्या., त्योंथर	878/23-07-2004	541/18-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी.

एस. एन. सिंह,

व. सह. निरीक्षक.

(1081-I)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./16/क्यू—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निर्मांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अल्पसंख्यक मछुआ सहकारी स. मर्या., गोविन्दगढ़	664/11-03-1988	DR/RWA/परि./502/18-03-2016
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बेलौहा	1042/03-01-2011	DR/RWA/परि./380/14-03-2016
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., किरहाई	917/04-02-2009	DR/RWA/परि./382/14-03-2016
4.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बिसुरा	941/11-02-2010	DR/RWA/परि./383/14-03-2016
5.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., बारीकला	942/11-02-2010	DR/RWA/परि./384/14-03-2016
6.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बरौ	978/13-09-2010	DR/RWA/परि./385/14-03-2016
7.	प्राथ. दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., जीवार	1125/16-10-2014	DR/RWA/परि./417/14-03-2016

1	2	3	4
8.	नवीन मछुआ सहकारी समिति मर्या., चोरगढ़ी	985/29-09-2010	
9.	बजरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., चिरहुला	310/25-09-2006	
10.	महिला साख सहकारी समिति मर्या., पुष्पराजनगर, रीवा		

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्थाओं के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

ए. के. गुप्ता,

परिसमापक एवं सह. निरी.

(1081-J)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सार्थक कुटकुट पालन सह. स. मर्या., गेऊआर	2003/29-03-2014	518/18-03-2016
2.	दुग्ध उत्पा. सह. समिति मर्या., बांस	1097/14-08-2003	402/14-03-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पा. सह. स., शिवपुरवा	972/05-08-2010	398/14-03-2016
4.	दुग्ध उत्पादक सह. स., चौड़ियार	1116/15-10-2014	408/14-03-2016
5.	शक्ती ईटा उद्योग सह. स. मर्या., वेलवा कुर्मीयान	943/16-11-1994	516/18-03-2016
6.	जागृति बुनकर सह. स. मर्या., रीवा	506/22-02-1995	499/18-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा देवें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

यू. के. लेडवानी,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1081-K)

कार्यालय, परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 11 जनवरी, 2017

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

क्र./परि./17/क्यू-02—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., जोन्ही पो. कचूर रीवा	1266/19-01-2015	538/18-03-2016
2.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., विलौही	1112/04-10-2013	404/14-03-2016
3.	दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., ऊचाडीह ब्राबा डमी बडोली	1122/04-10-2014	414/14-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो, तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, रीवा में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार/देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्थाओं का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

एन. पी. सिंह,
परिसमापक.

(1081-M)

उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल

शहडोल, दिनांक 21 मार्च, 2017

धनपुरी निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र से संबंधित आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु

क्र./102/नग्रानि/2017.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि धनपुरी निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा-15(1) के अधीन तैयार किया गया है, जो निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट है-

अनुसूची

उत्तर में	:	ग्राम कटकोना, पकरिया एवं साबो ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम झगरहा एवं अमलई की पूर्वी सीमा तक
दक्षिण में	:	ग्राम अमलई एवं बँगवार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम बँगवार, सरईकापा अहिरगवाँ एवं विक्रमपुर की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त मानचित्रों की एक प्रति--

- (1) संभागायुक्त शहडोल संभाग शहडोल मध्यप्रदेश,
- (2) कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,
- (3) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश,
- (4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बुढार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
- (5) उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में दिनांक 23 मार्च, 2017 से कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में उपसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय शहडोल मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें।

आर. के. पाण्डेय,
संयुक्त संचालक,
वास्ते उप-संचालक.

(1082)


कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला खंडवा

खंडवा, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

आ.क्र./मा. चि/हेमर/2016/782.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया है, कि मार्किंग हेमर हेतु परिक्षेत्राधिकारी खण्डवा को हेमर क्रमांक एन डीएन 147, एन डीएन 178, एन. डीएन. 173 एवं एन. डीएन 144 जारी किया गया था. श्री राजेश मिश्रा, उप-वनक्षेपाल, परिक्षेत्र सहायक पंधाना द्वारा वन भ्रमण के दौरान कहीं गुम गया है. जिसकी सूचना पुलिस थाना पंधाना, जिला खण्डवा में की गई है. गुम हेमर के खोजबीन के प्रयास किए गए, जिसमें कोई सफलता नहीं मिली.

अतः वन वित्तीय नियम की धारा-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पार्श्व हेमर वनमंडल स्टॉक से अपलेखित किया जाता है. इस विज्ञप्ति के फलस्वरूप कोई भी कार्य उक्त गुमशुदा हेमर का अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग करते पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी. यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर मिले, तो वह निकतम थाने या वन विभाग के कार्यालय में तत्काल जमा करे, या सूचना देवे.

उक्त गुमशुदा हेमर की बाजार दर 895/- रुपये प्रति हेमर की दर से कुल राशि 3580/- रुपये (तीन हजार पांच सौ अस्सी) एक मुश्त श्री राजेश मिश्रा, उप-वनक्षेपाल, परिक्षेत्र सहायक पंधाना के वेतन से एकमुश्त वसूल करने का आदेश दिया जाता है. हेमर जैसी महत्वपूर्ण सामग्री के रखरखाव के संबंध में लापरवाही बरतने के संबंध में उन्हें चेतावनी दी जाती है.



एस. के. सिंह,
वनसंरक्षक.

(1077)

कार्यालय, परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 20 जनवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

क्र./स्था./2017/214—जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित शहडोल, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल जिसका पंजीयन क्र. एस. एच. डी. एल. एच. ओ. 96, दिनांक 25 फरवरी, 1963 है, को संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएँ रीवा/शहडोल संभाग मध्यप्रदेश के आदेश क्र./परिसमापन/भू. वि. अ./2016/125, कैम्प रीवा दिनांक 03 फरवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के तहत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के यदि हो, तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 19 जनवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गयी.

बुन्देल सिंह परते,
परिसमापक.

(1083)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, नरसिंहपुर

दिनांक 20 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम, 1962 के नियम-57(ग) के अंतर्गत]

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, नरसिंहपुर तहसील नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर, जिसका पंजीयन क्र. 998, दिनांक 13 मई, 1935 है, को संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जबलपुर के आदेश क्र./संपं.ज./विधि/2016/43, जबलपुर दिनांक 07 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएँ, अधिनियम, 1962 के नियम क्र. 57(ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा

सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 20 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गयी.

शकुनतला ठाकुर,
परिसमापक.

(1084)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन
कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,
ग्राम-भीलगांव पोस्ट-कसरावद,
दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., भीलगांव,
तहसील कसरावद, जिला खरगौन,

दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., भीलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 01 सितम्बर, 1989 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक/सचिव,
सत्येन्द्र यादव पिता शिवराम यादव,
हरिअंत नगर, कसरावद
तहसील कसरावद, जिला खरगौन,

दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., कठोरा, तहसील कठोरा, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1658, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है

जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

संतोष पाटीदार

पता-धांधला पोस्ट-काटकुट

तहसील बड़वाह, जिला खरगौन,

दुग्ध उत्पा. सहकारी समिति मर्या., धांधला, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1658, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,
ग्राम-पिपरीपाला पोस्ट सिरबेल महादेव,
तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन,

पूजा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पिपरीपाला, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1669, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,
माँ शस्त्र श्रृंगी म. प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., खरगौन,
तहसील खरगौन, जिला खरगौन,

माँ शस्त्र श्रृंगी म. प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1527, दिनांक 27 अगस्त, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की

धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,

पता-कपास्थल पोस्ट-कपास्थल,

माँ रेवा उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., कपास्थल,

तहसील बड़वाह, जिला खरगौन,

माँ रेवा उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., कपास्थल, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1693, दिनांक 29 नवम्बर, 2013 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,

खरगौन

देवी माँ अन्नपूर्णा साख सह. संस्था मर्या., खरगौन,

तहसील खरगौन, जिला खरगौन,

देवी माँ अन्नपूर्णा साख सह. संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1884, दिनांक 10 मार्च, 2014

है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/सचिव ग्राम-मोहन्या,

महेश सचिव

पोस्ट-करही रूपलाझिरी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., मोहन्या,

तहसील महेश्वर, जिला खरगौन,

रूपलाझिरी मत्स्योद्योग सह. संस्था मर्या., मोहन्या, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1386, दिनांक 08 जुलाई, 2004 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,

पोस्ट महेश्वर, तह. महेश्वर,

माँ हिंगलाज प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर,

तहसील महेश्वर, जिला खरगौन,

माँ हिंगलाज प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1682, दिनांक 05 अगस्त, 2013 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/सचिव,

दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., रजगांव गुरुजी,

पोस्ट-रजगांव गुरुजी,

तहसील खरगौन, जिला खरगौन,

दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., रजगांव गुरुजी, तहसील खरगौन, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 18 मई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.

7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त ,सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(1106-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,

साईराम परिवहन सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया,

पोस्ट-घरगांव,

तहसील महेश्वर, जिला खरगौन,

साईराम परिवहन सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1972, दिनांक 27 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है।
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है।
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त ,सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(1106-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/प्रबंधक,

माँ उमरिया सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., घरगांव,

पोस्ट-घरगांव,

तहसील महेश्वर, जिला खरगौन,

माँ उमरिया सहकारी मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., घरगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1971, दिनांक

27 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,

धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर,

तहसील मण्डलेश्वर, जिला खरगौन,

धनलक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील मण्डलेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1686, दिनांक 07 सितम्बर, 2013 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी,
विवेकानन्द परिवहन सह. संस्था मर्या., मण्डलेश्वर
तहसील मण्डलेश्वर, जिला खरगौन,

विवेकानन्द परिवहन सह. संस्था मर्या., मण्डलेश्वर, तहसील मण्डलेश्वर, जिला खरगौन जिसका पंजीयन क्रमांक 1993, दिनांक 27 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के हित में कार्य कर रही है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप-नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
6. संस्था निर्वाचन करवाने में असफल रही है.
7. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त, सहकारिता, खरगौन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
8. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगौन म. प्र. शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क., बी./ख., सी./ग की शक्तियां जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाय.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर -पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(1106-M)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/334.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2015/456, बड़वानी, दिनांक 04 जुलाई, 2015 के द्वारा परिसमापक मोचियान चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 28 जून, 1977 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(1107)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/335.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/363, बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के द्वारा परिसमापक श्री हरिसाई सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 399, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-A)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/336.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/359, बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के द्वारा परिसमापक पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, खुरमपुरा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 30 अगस्त, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस. रावत, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-B)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/337.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2011/695, बड़वानी, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापक प्रदुम्य बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बड़दा, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 04 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. जामरे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-C)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/338.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2009/936, बड़वानी, दिनांक 28 जनवरी, 2009 के द्वारा परिसमापक शिवम उत्क सवर्धन प्रयोगशाला सहकारी संस्था मर्यादित, साली, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 21 अगस्त, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-D)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/339.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2016/361, बड़वानी, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के द्वारा परिसमापक कमला साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 404, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जे. एस चौहान, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-E)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/340.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2011/693, बड़वानी, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 के द्वारा परिसमापक प्राथमिक वृक्ष सहकारी संस्था मर्यादित, भवरगढ़, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 827, दिनांक 28 अक्टूबर, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-F)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/341—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2014/739, बड़वानी, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के द्वारा परिसमापक शिव शक्ति खनिज उत्खनन सहकारी संस्था मर्यादित, सेमल्दाडेब, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 1022, दिनांक 06 नवम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-G)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/342.—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2014/739, बड़वानी, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के द्वारा परिसमापक चर्मकार सहकारी संस्था मर्यादित, राजपुर, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 109, दिनांक 08 जून, 1953 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-H)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/343—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./1970/6752, बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर, 1970 के द्वारा परिसमापक तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ठीकरी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 159, दिनांक 23 मार्च, 1954 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-I)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/344—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2010/169, बड़वानी, दिनांक 23 मार्च, 2010 के द्वारा परिसमापक जनजाति वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, सिलावद, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 17 जुलाई, 1967 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री अशोक काग, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-J)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/345—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2011/72, बड़वानी, दिनांक 17 जनवरी, 2011 के द्वारा परिसमापक सतपुड़ा मल्टी प्रपंज ट्रांसपोर्ट सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 8153, दिनांक 11 दिसम्बर, 1958 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-K)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/346—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2006/188-5/ बड़वानी, दिनांक 28 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापक पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, जुनापानी, जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 07 जनवरी, 1965 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अकक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-L)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/347—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2012/611 बड़वानी, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के द्वारा परिसमापक जन जाति वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजापुरी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 174, दिनांक 19 फरवरी, 1965 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, व. सहकारी निरीक्षक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-M)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/348—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2006/188-6, बड़वानी, दिनांक 28 जुलाई, 2006 के द्वारा परिसमापक पीक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, कानसुल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 56, दिनांक 28 जून, 1977 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री के. सी. दशोरे, उप-अंकेशक, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-N)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/349—कार्यालय आदेश क्रमांक/परि./2006/2012 बड़वानी, दिनांक 07 अगस्त, 2012 के द्वारा परिसमापक जन जाति वन श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, चिरिमिरिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 389, दिनांक 19 जनवरी, 1968 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. तरोले, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, खरगौन एवं प्रभारी सहायक पंजीयक, सहकारी सोसाइटीज, जिला बड़वानी, म. प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ।

आज दिनांक 25 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1107-O)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/209.-जय अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सिनगुन, तहसील कसरावद, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2016/1062, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी, खरगोन द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2017 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69(4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में जय अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., सिनगुन, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1502, दिनांक 03 अप्रैल, 2007 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है.

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी.
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी.
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी.
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री राजाराम भट्ट, सहकारी विस्तार अधिकारी, खरगोन के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी. संस्था तीन माह के भीतर व्यवसाय प्रारंभ नहीं करती है, तो विभाग द्वारा पुनः परिसमापन में लायी जा सकेगी.

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी.

नामांकित कार्यकारिणी :—

1. श्री पन्नालाल-हरी जी	अध्यक्ष
2. श्री रेवाराम-छोटे जी	उपाध्यक्ष
3. श्री देवदास-शिवराम	उपाध्यक्ष
4. श्री भगवान-छोटिया	संचालक
5. श्री नारायण-छोटेलाल	संचालक
6. श्री गोविन्द-पन्नालाल	संचालक
7. श्री आशाराम-हरचन्द्र	संचालक
8. श्री सुदामा-तुलसीराम	संचालक
9. श्री कैलाश-मांगीलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1111)

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/210.-ईधन सहकारी संस्था मर्या., सेगौव, तहसील सेगौव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1542, दिनांक 14 फरवरी, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2016/1060, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री महेन्द्र ठाकुर, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2017 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69(4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में ईंधन सहकारी संस्था मर्या, सेगाँव, तहसील सेगाँव, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1804, दिनांक 10 मार्च, 2014 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है।

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य 3 माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी।
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी।
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी।
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री राजाराम भट्ट, सहकारी विस्तार अधिकारी, सैगाँव के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी।

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निम्नांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

नामांकित कार्यकारिणी :—

1. श्री विरेन्द्र-नारायण पाटीदार	अध्यक्ष
2. श्री गजराजसिंह-दशरथसिंह चौहान	उपाध्यक्ष
3. श्री तुकाराम-राजनाथ पाटीदार	उपाध्यक्ष
4. श्री राधेश्याम-कन्हैया पाटीदार	संचालक
5. श्री कड़वा-प्रेमजी पाटीदार	संचालक
6. श्री छतरसिंह-दशरथसिंह चौहान	संचालक
7. श्री मोहन-चुन्नीलाल यादव	संचालक
8. श्री मुनिम-पुन्या भिलाला	संचालक
9. श्री देवराम-सीताराम	संचालक
10. श्रीमती बसंतीबाई-रामेश्वर मंडलोई	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1111-A)

खरगोन, दिनांक 20 फरवरी, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या, डोंगरगाँव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1545, दिनांक 14 फरवरी, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1064/2016, दिनांक 27 अगस्त, 2016 द्वारा परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी, खरगोन द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2017 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई. जिसमें आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/1/99/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम-69(4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या, डोंगरगांव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक 1545, दिनांक 14 फरवरी, 2008 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है।

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी।
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी।
3. समिति की तदर्थ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी।
6. समिति की नामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने श्री बी. एल. सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी, खरगोन के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी।

संस्था की विशेष आमसभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

नामांकित कार्यकारिणी :—

1. श्री महिमराम-श्री पंढरी पाटीदार	अध्यक्ष
2. श्री कड़वा-श्री काशीराम पाटीदार	उपाध्यक्ष
3. श्रीमति रामकुंवरबाई-श्री काशीराम	उपाध्यक्ष
4. श्रीमति गेंदाबाई-श्री रेवाराम पाटीदार	संचालक
5. श्री राजु-श्री प्रेमजी पाटीदार	संचालक
6. श्री सुखराम-मोतीराम पाटीदार	संचालक
7. श्री कैलाश-श्री मोतीराम पाटीदार	संचालक
8. श्री बाबुलाल-श्री दयाराम पाटीदार	संचालक
9. श्रीमति भिकीबाई-श्री मथुरालाल पाटीदार	संचालक
10. श्री माणक-श्री शंकर पाटीदार	संचालक
11. श्री हिरालाल-श्री सीताराम पाटीदार	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 20 फरवरी, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(1111-B)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2017-चैत्र 17, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक- तहसील पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, शाजापुर, झाबुआ, बड़वानी, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला व डिण्डोरी में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला सतना में फसल चना, मसूर, डिण्डोरी, में गोहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर व ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, झाबुआ, बड़वानी, राजगढ़, सीहोर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.- जिला अनूपपुर, सीहोर, होशंगाबाद, डिण्डोरी, बालाघाट में फसल धान, बुरहानपुर में सोयाबीन, ज्वार, मक्का, कटनी में उड़द, मक्का, मूँग, तिल, धान व दमोह, सीधी, खरगौन व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शहडोल, बड़वानी, सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 नवम्बर, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, मूँग, मक्का, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेंहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, तिल, उड़द, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ज्वार, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बक्सवाहा	..				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूँग, अरहर, तिल, मूँगफली, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, अरहर, गन्ना, गोहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. अरहर समान. (2)	5. . . 6. संतोषप्रद, ..	7. . . 8. पर्याप्त. चारा
1. रघुराजनगर 2. मझगवां पर्याप्त. 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गोहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकर्चुलियान				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कोदों-कुटकी तुअर, तिल, उड़द अधिक. (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. गोहपारू 5. जैतपुर 6. बुढार				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी, राई, अलसी, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़ 60.0				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, ज्वार, तुअर, मूँग, तिल, चना, अलसी, राई समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों गोहूँ मसूर, कम. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान अधिक. अलसी, चना कम. राहर, कोदों-कुटकी, ज्वार समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. सुवासराटप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलोदा	..				
6. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूँग, तुअर, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, उड़द, अधिक.कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. खातेगांव	..				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का,सोयाबीन, उड़द, कपास, मुंगफली, तुअर अधिक, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	..				
2. अलीराजपुर	..				
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. च. शेखर आ. नगर	..				
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुशी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	..				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, रई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. *जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन एवं ज्वार, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) कपास अधिक सोयाबीन कम (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. श्यामपुर	..				
3. आष्टा	..				
4. जावरा	..				
5. इछावर	..				
6. नसरुल्लागंज	..				
7. रेहटी	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूँगफली, तिल, गन्ना अधिक. मूँग, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) धान, तुअर अधिक. सोयाबीन, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, तुअर, मक्का, कोदों-कुटकी अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व उड़द, मक्का, मूँग, तिल, धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) धान, तुअर, ज्वार, मक्का, उड़द तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघोगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेंदूखेड़ा	..				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, सन्, कोदों- कुटकी, तुअर, उड़द, तिल. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गोहूँ, चना, अलसी, मटर, मसूर की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल समान (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	..				
3. शाहपुरा	..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. तामिया	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. चाँद	..				
10. बिछुआ	..				
11. हरई	..				
12. मोहखेड़ा	..				
13. उमरेठ	..				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसलों कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन्, गन्ना. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादोन	..				
4. बरघाट	..				
5. कुरई	..				
6. घसोर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				
7. खैरलांजी	..				
8. लालबर्वा	..				
9. बिरसा	..				
10. परसवाड़ा	..				

टीप.-*जिला गुना, नीमच, आगर, धार, खंडवा, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(1102)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.